SHRI H. HANUMANTHAPPA: He can overfly, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN. I think, you were doing it.

We have to have a stop-over, a technical halt.

STATEMENT BY MINISTER

INCIDENT AT SATO DHARAM PUR OF FATEHPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) We have not got copies of the statement.

THE DEPUTY CHAIRMAN. The copies are coming.

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार असोथर थाना के सातोधरमपुर गांव में 5 अप्रैल, 1990 को अनुसूचित जाति के सदस्य श्री सोखी के सुपुत्र श्री धनराज की उसी गांव के श्री राजूसिंह एवं गुलाब सिंह दोनों भाइयों द्वारा पिटाई की गई और उस पर कैरोसीन का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। उस समय सरकारी डाक्टर हड़ताल पर थे, इसलिए श्री धनराज को एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल किया गया। पूर्व इसके कि श्री धनराज का ब्यान रिकार्ड किया जाता, दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को श्री धनराज की मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार एवं ग्रामीणों द्वारा उसके पार्थिव शरीर को फतेहपुर कलैक्टेट में लाया गया और क्षतिपूर्ति के साथसाथ दोषी व्यक्तियों की गिरफतारी की मांग की गई। मृतक के परिवार को 2 हजार रुपये की अंतरिम सहायता तत्काल दी गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत 25 वर्षीय राजूसिंह एव 22 वर्षीय गुलाब सिंह के विरुद्ध मामला संख्या 55/90 असोथर थाना में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना स्थल का दौरा किया गया तथा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई। अभियुक्तों ने 11-4-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया। 22-4-90 को न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मृतक के परिवार को 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। इसके अलावा 4 बीघा जमीन भी मृतक के परिवार को आवंटित किया गया है। मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने सविवेक निधि से 15 हजार रुपये दिये हैं। प्रधान मंत्री को ज्यों ही घटना की जानकारी मिली उन्होंने अपने सचिवालय को मुख्य मंत्री एवं जिला अधिकारी से तुरंत सम्पर्क कर अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया। प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को दिये गये।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध सभी अपराधों और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क रखेगी और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार को रोकने हेतु जो भी संभव उपाय होगी, करेगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are a number of Members who are seeking clarifications. Shrimati Jayanthi Natarajan.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, I would like to thank the Minister for having come up with the statement at least now.

Madam, on Friday when we were raising the issue and requesting for the statement from the Government, the hon. Minister, Paswanji, got up and accused

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

us, those of us who were very vociferous on this side, of trying to make political capital out of this situation. The hon. Prime Minister has visited Fatehpur. I have got press reports that the Prime Minister and the Chief Minister of U.P. have also accused the Congress and said that they would prevent the Congress Party from trying to make political capital out of the situation. So, before I seek my clarification, I want to say that it is not a question of making political capital, but if such an incident has occurred, I want to say on my own behalf that we are not here to praise the Government. It is our job as the Opposition party to bring out whatever attrocities have been committed, and we are only doing our job. If something has been done, it is our duty to point it out. If political capital arises out of that, well, that is something which is incidental. It is nothing to be ashamed of. It is no answer to such a serious charge to turn around and say, "You are making political capital." You come out with an answer to what happened. It is no answer to turn around and ask, "Why are you making political capital out of it? That does not silence you completely. Madam, I wanted to place this on record.

Apart from that, Madam, I charge this Government with attempts at a massive cover-up operation. The reason why I am saying this is, because this the hon. Prime Minister's constituency, there has been an attempt to cover up the whole thing in two ways. One way was that the whole thing was sought to be hushed up. I do not know how many of us are aware of this. But the fact is that it was sought to be hushed up. It came to light only after more than a month and a half since the incident had actually occurred. The reason why it came to light is that the relatives of the deceased and the relatives of the woman, Kuchchi Devi came to the Lok Sabha Gallery and created a racket seeking justice. This was how it first came to public light. Otherwise it would have been buried. Nobody would have heard about it.

Secondly an attempt was being made even at the Prime Minister's presence to give a different version about the incident. It is from press reports in Fatehpur, which says that the Chief Minister of Utter Pradesh had said something which was completely at variance with the statement that has been given here, which is the report of the District Magistrate. The Chief Minister of Uttar Pradesh has said in the presence of the Prime Minister—I can read it out, but I don't want to waste the time of the House—that the deceased was drunk and that it was a suicide attempt. He had picked up a quarrel, while he was drunk, with some people, and had tried to kill himself by pouring kerosene. The Chief Minister had said this in the presence of the hon. Prime Minister without being contradicted. The report of the District Magistrate is completely different. I don't understand how the Chief Minister, as late as May 10, can make such a statement. Very curiously this is exactly the stand taken by the man who ought to be in jail today. I am going raise that in a miuute. The father of the two people, who are in jail today. Mr. Arjun Singh, has taken the same stand It is very curious that the Chief Minister of Uttar Pradesh in the Prime Minister's presence should echo the same thing. This is the curious thing. You will forgive me if I read it for a minute: "The father of the two accused in the Dhanraj murder case says that the two of them—Raju and Dhanraj—had been drinking near the tubewell and that they were totally drunk by the time they came to the Chakki where Raju blacked out and Dhanraj was told to go home by some of the villagers. On reaching the pond Dhanraj got enraged at something and started hurling abuse, threatening to say how long Raju wil be able to rule the village. The father, who was seen sitting close to Mr. so and so, the son of the Prime Minister during the election campaign of the village, says since he was out of the village at the time of the incident, from the account which some of the villagers have given him, Dhanraj after drinking and shouting set himself on fire and jumped into the pond. But, he says, he

does not know who poured kerosene on Dhanraj. He demanded a full inquiry into the matter." It is very curious that this is one story which the Chief Minister is echoing. I don't understand what kind of justice these people will get if this is the stand of the Chief Minister who is not being contradicted by the hon. Prime Minister.

There is another very important point that I want to bring to the notice of the Government. Just now at the end of the statement, hon. Paswan Ji said that this Government is determined to stamp out atrocities. Hon. Prime iMnister in Fatehpur said: "We will set up special courts." Everybody seems to think that this Government is going to set up special courts to stamp out atrocities against Scheduled Cases and Scheduled Tribes. I want to remind this House that it was the Congress Government led by Rajiv Gandhi which first brought the Bill and passed it in this House on atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also a Bill making provision for special courts. At that time, it was in September 1989, these two Bills, which were really effective Bills for preventing atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, designated atrocities, said that these are all atrocities and the provision of special courts was made for more stringent punishment. To say that there will be special courts so that it can be speedily tried, I may say, was not correct. A Bill to that effect was introduced by Smt. Rajendra Kumari Bajpai at that time. This was passed in the Lok Sabha and this was passed by the Rajya Sabha in September 1989. And what hon. Upendra Ji, as leader of the Opposition, had said at that time was: "I welcome the Bill. Mere piece of legislation is not enough. There should be political will on the part of the Union Government and the State Governments to implement this."

Now, I want to show you what has happened later. The Bill was then notified by this Government. We passed the Bill. It was the Congress Government that not only introduced the Bill, but passed the Bill. It was the Congress Government, not this Government. It was notified by this Government on 30th January, which was supposed to coincide with the death anniversary of Mahatma Gandhi. What has happened? On the 1st of January this Government brought out a special action plan, which said:

"The day this Bill is notified, they will see to it that every State Government immediately brings in special courts to try atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes." They said that it was notified on the 30th January. Then, what happened? Let us take Bihar which is being run by the Janata Dal where there should not be any problem at all. Till today, they have not notified any special courts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Madam, I would like to read a very interesting quotation.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, I am on a point of order.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Are you afraid because I am going to expose somebody?

SHRI M. A. BABY: I am only on a point of order. Madam, may I know from you what is the scope of seeking a clarification? Are they converting a *suo motu* statement into a full-fledged discussion? Once a Minister makes a *suo motu* statement in Rajya Sabha, there is scope for seeking clarifications.... (*Interruptions*) ....In the Rajya Sabha, we have the scope for seeking clarifications on the basis of the statement being made by the Minister. Now, my hon. colleague is taking it to the level of a full-fledged discussion. May I know from you whether you are going to give that scope for every Member? In that case it is welcome ... (*Interruptions*) .... I know that it is a very sensitive issue and a very important issue and if it is converted into a full-fledged discussion, I welcome it. I am not against converting it into a full-fledged discussion but the same scope should be

[Shri M. A. Baby]

given to every Member.... (*Interruptions*).... It should be limited to seeking clarifications only. I would like to have your ruling on this.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam. I would be very brief. I will seek only clarifications.

SHRI M. A. BABY: Madam, please give me your ruling. I am not asking that she should be brief.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): On our demand this *suo motu* statement has been made because this incident took place in the Prime Minister's constituency. We want a full-fledged discussion and it cannot be curtailed.

SHRI M. M. JACOB: One fact remains that it is a very important subject. We requested for a statement because this incident took place in the constituency of the Prime Minister. We are very happy that the statement has been made today. So please allow the Members to have full expression of their thoughts.

THE DEPUTY CHAIRMAN: As far as *suo motu* statement is concerned, it should be confined to questions only. We have had a ful-fledges discussion in this House on atrocities against Harijans and backward classes. We have had a discussion on a Bill also relating to this subject wherein Members had chance to participate in the debate. On the demand of the Members, we requested the Government to come forward with a statement on a particular incident. They have made a statement and I request all the Members to confine themselves to the statement only and ask question to that extent.

SHRIMATI JAYANATHI NATRAJAN: Definitely I am going to confine myself to the statement and I am going to ask only questions. When the Congress Party was heading the Government in Bihar, Mr. Paswan has said that the Congress Government has not even notified special courts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He also said that he would see to it that it is done immediately. They swore that the moment they notified it, they will see to it that all the state Governments will immediately notify. In the last week of April, 1990 the Chief Minister of Bihar, Mr. Laloo Prasad Yadav has said that he knows nothing about any such law. He had never even heard the name of such a law. This is what the Chief Minister of Bihar has said which is in all the newspapers.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Madam, is she seeking a clarification or making a speech?

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): Madam. my friends are too technical. This is an allied matter. We are entitled to ask for clarifications on the allied matters. All that we have done in this House. (*Interruptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, Mr. Laloo Prasad Yadav is the Chief Minister of Bihar. If he ..(*Interruptions*)... how the Minister here, the Central Minister. will give clarification?

SHRI P. SHIV SHANKER: Let him say so. (*Interruptions*). It is connecttd with that. After all, the notification is by the Central Government. It was said in the action—plan of this Government on the Ist January that immediately when the Act is not filed for implementation the special courts will also be established. It is in pursuance thereof she is asking. It was the Central Government which said this. That is why she is asking.

SHRI DIPEN GHOSH: You have your party Members in Bihar Legislative Assembly. Ask them to raise it... (*Interruptions*).

SHRI P. SHIV SHANKER: Have you confiend yourselves to the view that law and order is a State subject? Every time. it has been discussed here.

SHRI DIPEN GHOSH: But you cannot seek clarifications from the Union Minister about a statement being made by the *Bihar Chief Minister*.

SHRI P. SHIV SHANKER: Certainly we can. (*Interruptions*). You cannot bulldoze this way. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, if Mr. Ghosh is right, does it mean that an incident that occurred in Uttar Pradesh should be done only in the Uttar Pradeesh Assembly?

SHRI DIPEN GHOSH: I am asking a question. You have said, "Mr. Laloo Prasad Yadav is reported to have stated like this. Will the Minister clarify?" What is that?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I will avoid this controversy. I am just pointing out...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You confine yourself to hte clarification.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Yes. I am confining myself. I am just pointing out that obviously they do not mean what they say. The Central Government does not mean what it says. Special courts are the core of the issue. I do not know the reason why they all want to join the cover-up I do not know whether they want to do it. Special courts are the core of the whole issue. I want to know why the special courts do not exist in Uttar Pradesh I was just going to come to the clarification. (*Interruption*). I have not finished I was waiting for all of them to finish. In all the Janata-ruled States, including in Orissa...(*Interruptions*). Mr. Patnaik says, "It is not necessary to establish a special court over here." He says that only in States where the incidence is very high, it is necessary to establish a special court. And in Uttar Pradesh, last year, the number of incidents was the second highest in the country. This is this area. Therefore, the simple question I am asking is: Has the Government of Uttar Pradesh established special courts to try atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes or not? If they have not, why they have not done so? They have filed action under section 302 IPC. And under the Criminal Procedure Code, why have you not still established a special court in Uttar Pradesh? When are you going to do it? When is the Chief Minister of Uttar Pradesh going to do it? Madam, as the time is running out, I am asking very pointed questions. This lady the wife of the deceased, has been continously asying that the man who originally tried to molest her was one Arjun Singh. She has been continuously saying that she was the one who came along with these people, he was the one who gave the match and he was the one who gave it to them to throw. Why is it that this Arjun Singh has not been arrested? What is the idea of the two other people being arrested when the main man that the lady has been talking about Arjun Singh, has not yet been arrested? My third point is, why is it that the dying-declaration of Dhanrai was not recorded? Why is it that you have not recorded the dying-declaration of Dhanraj when doctors were saying that he was in a condition fit enough to give a statement? Was it a deliberate attempt at a cover-up? The next clarification I want is: Is it or is it not a fact that the post-mortem shows that there was no alcohol in the body of the deceased? Is it or is it not a fact? The whole story of the Chief Minister of Uttar Pradesh that he was drunk would be completely wiped out if it is a fact that there was no alcohol. This is in the post-mortem report and nobody has denied that. Was there a post-mortem report in which it is said that there was no alcohol in the body of the deceased? Finally, what was the date of the FIR? You keep on saying that the FIR was filed and the incident happened on such and such date. The incident happened on such and such date and so and so surrendered on such and such date. The charge-sheet was filed on such and such date. When was the FIR filed? Why do you hide the date of filing of FIR and is it or is it not a fact that on this FIR being refused to be registered they went from pillar to post, to two or three police stations and they all refused to register their FIR? Madam, finally, I want to say

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

before you ask me to sit down, that I do not know if the Minister has really read the statement carefully—I am sure, he would have. It says that the Superintendent of Police visited the spot and action under Sections 82-83 of the Code of Criminal Procedure was taken. Maybe they feel that none of the Members will even read what the Code of Criminal Procedure says but I was interested to know what the Code of Criminal Procedure says.

Madam, all that the Code in sections 82 and 83 says is that if there is a warrant for the arrest of somebody and if that peron is absconding, in that case you can put up a proclamation by which you say that the man's property will be attached if he does not appear in such time. What connection does that such time. What connection does that have with this case? According to you, those persons have surrendered in the court. Why are you misleading Parliament? I do not understand what connection sections 82 and 83 of the Code of Criminal Procedure have with this case? Please clarify what you mean when you say that 82 and 83 have been invoked.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Subramanian Swamy. Now please confine yourself to the question.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I always do. Madam Deputy Chairman, the statement given by the Minister of Labour reads more like a report from a Thana than one that should be placing the whole incident in socio-economic perspective. Indeed, this is the kind of statement that was to be made. I am not able to understand why the Home Minister should not be making the statement and why Mr. Paswan should be asked to make the statement. So, indeed an explanation is owed unless of course in pattern with what is happening in the National Front Government, every aspect of the Home Ministry is being partitioned off whether it is Kashmir issue ..: (*Interruptions*) .:: But the report does not read like Harijan welfare, it reads like feudal welfare. So I would like to know from the hon. Minister exactly why the Home Minister has not replied or the Prime Minister might make that clear. The second thing is that the subject acquires a special importance because the Prime Minister's contituency is involved and we know that the Prime Minister shifted his constituency from Allahabad to Fatehpur because it was explained at that time by the "Indian Express" that a large number of his admirers and his fellow Jatwalas are in that constituency. That is how it was explained. I do not know if that was the reason, but the fact of the matter is that in such type of constituencies where there is a domination of feudal elements, the atrocities against Harijans have denfinitely increased according to my information that I have got from the Home Ministry itself, I would like the Minister to come out with a statement and give us the facts in the last four-five months on the basis of the police report alone which is available in the Home Ministry, as to what the statistics are on atrocities against Scheduled Castes in the State of Uttar Pradesh. Indeed I would say that the Prime Minister should bend backward in view of the fact that somehow an expression has gathererd around in Uttar Pradesh amongst the feudal elements that their Government has come to power in Delhi. So I would like to ask four questions. First is, as my colleague Shrimati Jayanthi Natarajan said, why is there not any dying declaration? After all, according to this, he was admitted on the 5th. The incident took place on the 5th and Dhanraj succumbed to his injuries on the 6th and it is clear that more than 24 hours elapsed. The question is why was not the dying declaration taken? What is the explanation? Have they called for an explanation? Secondly, not only the question of FIR but even on the question of this case being registered, what is the date on which the case was registered? And, it says here, "As soon as the Prime Minister came to know about the incident..." and I would like to know on which date the Prime Minister came to know of this incident.

I once again refer to the interview given by the wife of the deceased which has appeared in many newspapers. Reading it is blood-curdling. I would like to know why there is no reference to it at all. What is the essential reason for this crime? According to the wife, they wanted her to be a mistress in the house of the landlord, the feudal element there, whose name Mrs. Jayanthi Natrajan has mentioned, but which does not appear here at all. Now, so many newspapers and newspaper correspondents have given these gory details, the interview with the wife and the distraught condition in which she was and there is absolutely no reference whatsoever for the socio-economic reasons behind this crime. Whom are they protecting? This is what I would like to know. What is his political background? Is he a member of any political party? Did he campaign for any particular candidate? This explanation the Government owes.

Finally, Madam, since Mr. Ram Vilas Paswan is the Minister of Labour, the only question he should be dealing with in his Ministry, unless he is also designated as the Minister for Harijan Welfare—I do not know whether he has been designated like that—...

श्री राम विलास पासवान : कम से कम हरिजन मत कहा करें. अनुसूचित जाति कहिए ।

श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी : शैड्यूल्ड कास्ट कहिए, महात्मा गांधी हरिजन कहते थे । तो हम कह देंगे । आप शैड्यूल्ड कास्ट कहेंगे, तो हम शेड्यूल्ड कास्ट्स कहेंगे, परंतु आप सदन को यह बता दीजिए कि आप शैड्यूल्ड कास्ट्स के मिनिस्टर हैं I would like to know whether he is aware that the wages paid to the Scheduled Caste labour in Fatehpur is between five and eight rupees while the minimum is Rs. 18/- and one of the issues on which there is always tension is the awareness that is there among the Scheduled Caste people, particularly the younger generation, who are demaanding the minimum wage and their refusal. I would like to know whether the Government has taken any action on this to see that the minimum wages are paid to the Scheduled Caste labourers.

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Madam, one information I would like to share with the house because he has asked when I came to know of it, I think I must share it with the House. It was when some young people made some slogans in the Lok Sabha and I came to know of it that day. I did not know what was behind it. Some slogans were raised and I inquired what slogans were raised and what was behind it. Mr. H. P. Sharma, my Private Secretary, told me that it is regarding some incident against the Harijans in Fatehpur. Immediately I gave instructions.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Please do not use the word "Harijan".

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: All right. But that is what he said. I am quoting only what he told me.

SHRI SUBARAMANIAN SWAMY: Anyhow, please correct yourself.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am not myself using that word. I am just telling what he told me.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Then please correct Mr. Sharma also.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: O.K. I am telling you just as he reported to me. And, immediately, I gave instructions that the fullest action should be taken against those persons and I was then informed that action had been taken.

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): What was the date?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Just one moment. The essense of it—the date is there—that on that very day, that very hour, as soon as I was informed of it, I informed the authorities, telephonically

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

the authorities were informed to take the fullest action. On this there is no division in the House so far as the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or any weaker section is concerned. We have to take the fullest action and the Government has no hesitation on it and let me assure you, there is no question of any cover-up. I need not go into details. But, in that very constituency, when I was campaigning, I was fired upon, along with the members.... (*Interruptions*)....

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Did you hold any inquiry?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: ...by those feudal elements to whom tickets were given against our candidates and, after that, an SC or ST man, our agent, was killed by them. And when you were in power he was the accused and he was just moving about free. The difference now is as soon as we came to power we locked up that person who committed that Dungaria crime as well as the person.... (*Interruption*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You have not given the date.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: That I have to find out from the Lok Sabha proceedings.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You should have locked up these people.

MISS SAROJ KHAPARDE: Did Please tell us the date before the clarifications are over.

MISS SAROJ KHAPARDE: Did they surrender or were they arrested?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: They are in jail.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What about the date?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It was 10th.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Tenth of which month? April or May?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It takes five days for the Prime Minister to know what is happening in his constituency.

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): मैडम, ...(**व्यवधान**) यह स्लोगन्ज से तो उनको पता लगा । वह देश के प्रधान मंत्री हैं । क्या कहीं कोई भी अनुसूचित जाति या जन जाति के आदमी को जिंदा जला दिया जाए और प्रधानमंत्री की कांस्टीट्यूएंसी में जला दिया जाए तो क्या उनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे कि उनको अपने आप पता लगता ? अगर वह नौजवान यहां संसद् में स्लोगंज नहीं लगाते तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को अनुसूचित जाति, जन जाति के आदमी को जिंदा जलाने का पता नहीं लगता जो उनकी कांस्टीट्यूएंसी में जलाया गया है । यह तो उन्होंने आकर स्लोगन के उससे इनको पता लगा और बड़ी शेखी के साथ यह बता कह रहे हैं ।

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, आपने जैसा कहा कि 10 तारीख है तो क्या यह 10 तारीख अप्रैल की थी या 10 तारीख मई की थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अप्रैल की थी । ...(**व्यवधान**)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा कि आपने इमीडिएटली ऐक्शन के लिए कह दिया, तो मेरा यह आरोप है कि आपकी सरकार इमीजिएट एक्शन लेती है उसी वक्त लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं करती कि क्या हुआ । 10 अप्रैल से लेकर आज 14 मई हो गई हमें आप यह बतायें कि अब

तक क्या ऐक्शन हुआ है ? . . . (व्यवधान) आपने इतना तो कह दिया ऐक्शन ले लिया जाए लेकिन अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने यह उसी समय चैक किया और यह मालूम हुआ कि वह जेल के अन्दर है । यह बंद हैं और अभी तक जेल में हैं और यह चैक किया गया और आप जरा ख्याल कीजिए डुगरई में जब मारे गए थे तब वे खुले में थे जब तक आप शासन में थे । . . . (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I call Mr. Bhandare.

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Madam. . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not allowing you. I have called Mr. Bhandare. (*Interruptions*) No, I am in the Chair. I am not allowing interruptions like this. You cannot be getting up like this when I am callilng Mr. M. C. Bhandare.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मेरी बात का जवाब दिया है, इसलिए मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह कहना कि हमारी सरकार में ऐसा होता था यह बात कोई जस्टीफिकेशन नहीं है । प्रधान मंत्री के यह कहने से कोई फायदा नहीं है । . . . (व्यवधान) यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है कि हमारी सरकार के वक्त ऐसा होता था । दिस इज नो जस्टीफिकेशन । . . . (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पंडरिया के अन्दर जो हुआ क्या उसे आप भूल गए हैं ?

कुमारी सरोज खापर्डे : अब आप कहते ही जाएंगे कि वहां ऐसा हुआ इस लिए । . . . (व्यवधान)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhandare, please ask your questions.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Thank you, Madam. This is a very grave issue and I want to dispel the misgivings or the apprehensions that just because we had discussed the atrocities on Harijans in general we should not discuss this specific issue. 'Specific' always excludes the 'general' . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is exactly what I said. Discuss the specific issue. That is why the Minister has come forward.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: And it is regrettable that though this issue was first raised in this House on a special mention by Sardar Ahluwaliaji, and thereafter by me when I initiated a discussion on the report of the Ministry of Home Affairs on the 30th, it has taken 14 days for the Government to come out with a *suo motu* statement. This speaks volumes because it is not a question of a mere atrocity. This is symbolic; this is symptomatic. And if we do not curb this in time, this is an infection which is irreversible, which will spread like a wild disease in various parts of the country. That this happened in the Prime Minister's constituency is all the more regrettable. I think, right or wrong, by now a Member of Parliament from a particular constituency is supposed to be a mirror of the urges, hopes, frustrations and despairs of the people of that constituency. Therefore, he is supposed to rush whenever there is any tragedy. He is supposed to share with them happy occasions when there is a marriage in the family or something of the kind . And, therefore, it really baffles my imagination, my comprehension, that the Prime Minister should not have known this incident for a period of six days, from 4th April or 5th April till 10th of April, and it was a sheer accident. I am

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

glad some workers of the Congress party were there, otherwise he would have been ignorant of it even today. He learnt, as he just now explained, only when there were slogans. Now, this statement is again so shoddy I wish something could be done in a matter of this importance which I said is symbolic. There was no answer that the Prime Minister chose to change his constituency on caste considerations when he had earlier won the election from Allahabad which turned or changed the history of this nation as many people claim....(*Interruptions*) There is no answer at all. (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : कांस्टी-ट्यूएंसी का कास्ट वाइज फिगर दे सकते हैं आप

SHRI KAMAL MORARKA (Rajsthan): Madam, I am surprised at Mr. Bhandare's way ....(*Interruptions*) Everybody knows that the AICC-I had a computer which gave the caste analysis in each constituency. The National Front Government had no such...(*Interruptions*)

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Are you really suggesting that for your Prime Minister, and the country's Prime Minister, old habits die hard?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: And the plane was diverted. What happened ....(*Interruptions*) It was to land at Kanpur. It was brought back to Delhi. (*Interruptions*)

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : पहले उसी पर यह बहस हो जाये तब आगे की बहस होनी चाहिए ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: On caste considerations.... (*Interruptions*)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: This is wrong. It is totally rebutted. It has no basis. (*Interruptions*)

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): Let it be on record that Mrs. Jayanthi Natarajan says that it is her right to derive political mileage out of this incident. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I said that it is the job of the Opposition to expose what the Government is doing. (*Interruptions*)

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): What action had your Government taken ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I said that political mileage results from terrible incidents.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: She says that it is her right to take political mileage out of this incident.

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Why is he putting words in her mouth? Records will speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the records.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Madam, I am glad that it has been clarified as a fact that for no reason whatsoever the Prime Minister changed his constituency from Allahabad to Fatehpur.

(*Interruptions*)

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : मैडम, पोइंट आफ आर्डर, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब कांस्टीट्यून्सी का चयन किया था, उस समय प्रधान मंत्री नहीं थे । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I want to put the facts right. Before this, I was in Rajya Sabha. There was no particular constituency. Before that I was elected from one poor segment of this constituency of Fatehpur. You forget the

facts. So, I have not changed my constituency.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhandare, let us forget about the constituency. You speak about the incident in the constituency.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I think we all know the difference between an Assembly segment and a Parliamentary constituency. If this is the reason, then I am glad that the hon. Prime Minister has really given us no reason. Now I come to very specific points. It is widely believed that this gentleman, Arjun Singh or Raju Singh or somebody else or the two sons, have been very active workers of the Prime Minister and, in fact, they were running an election office of the Prime Minister in the last elections.

SHRI VIRENDRA VERMA (Uttar Pradesh): One hundred per cent wrong.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: You did not see the office. Did you see the office? Have you seen Arjun Singh or Raju Singh? I am glad.

SHRI KAMAL MORARKA: What kind of logic is this? Mr. Bhandare has not gone there.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: The Prime Minister is here and he can answer. Why are you all getting up?

The third point that I am making is this. According to me, it is tragic to find that though the Prime Minister gave directions to arrest the people, they could not be arrested. I do not know at what time the instructions were given. But nobody can surrender himself in a court before 10 o'clock or 11 o'clock next morning and I cannot believe that for over a period of 16 hours at least these people could not be arrested by the Police. They only surrendered themselves in the court the next day. Again that speaks volumes about the inaction of the police and the way they pay heed to the directions of the Prime Minister and the manner in which the directions of the Prime Minister are obeyed. If anything, they could have been arrested in an hour or half an hour with the wireless, the Police network and the arm of law. Please explain this delay between the time when the Prime Minister gave directions and how they could surrender only the next morning in the court. There is no explanation at all. Very serious things have been said about the illegal demand of just by a member of the family who is one of the accused. I do not know whether he has been brought in as an accused. There is not even one word about it. The honour of a lady continues to be of the greatest importance for us. But this Government has thought it fit not to refer to it. I would like to know whether it is true or it is false and whether it is invented. Nothing has been given. The worst is that you are adding insult to injury. You are rubbing salt into the whole thing by coming out with a statement like this.

I have one more thing to ask. And it is this: Why is it that till now this matter had not been further investigated because it is over a month and a half now? Why is that no further report is to be found of that investigation? The statement does not take us beyond the First Information Report.

Madam, this is not the first time. We have seen that daughters-in-law of very respectable families have been alleged to have been murdered and then it was explained that it was a suicide. It is another case. I am afraid, the way the things are going on, these people will get the protection and probably the theory of suicide will even stand. What I want to say is that in these cases, the FIRs

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

are doctored, they are even changed because those who have the power to commit such offence also have the power to suppress the evidence to prove that offence. And I do not see as to what is being done to see that such kind of suppression does not take place on a very serious issue like this because if this can happen with impunity in the Prime Minister's constituency, it can happen with greater impunity in any other constituency. We are at the crossroads. And I will only request the Prime Minister at this stage to assure us that within a period of three months all those who are guilty will go through the process of trial because *as I have said before, it is an FIR* Government. Nothing goes beyond lodging of an FIR. And I am happy that the Prime Minister is here because in the next five years, we will have many occasions to go through the various FIRs which have been filed.. . . .

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am not one who shies away who does not come to the House when the discussion comes up regarding him.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Very well. But mark my words that nothing will go beyond the stage of registration of FIRs. Mark my words. And I who stand for all culprits to be booked without distinction of the status they enjoy, am very, very unhappy that the FIRs are being lodged only against the bureaucrats, and those who are supposed to be really guilty are never mentioned in the FIRs. Therefore ...(*Interruptions*) ... may I end up with asking a clear cut answer as to the time table by which they will complete the trial in this case?

Thank you, Madam,

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं केवल स्पष्टीकरण ही पूछूंगा, जो मंत्री जी के वक्तव्य से ही संबंधित है।

एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक, फ़तेहपुर ने, जो घटना हुई थी 5 अप्रैल को, घटना स्थल का जो दौरा किया, वह किस तारीख को किया और यदि घटना स्थल का दौरा उन्होंने 5 अप्रैल को नहीं किया तो उनके खिलाफ़ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाई की ? क्योंकि निश्चित रूप में एक हरिजन का कत्ल हो या किसी भी व्यक्ति की हत्या हो तो उसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक ने किस दिन घटना स्थल का दौरा किया ?

दूसरा यह बतलाया गया है वक्तव्य में कि डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी इस लिए धनराज को किसी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। डाइंग डैक्लेरेशन लेने का काम पुलिस अधिकारियों का होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 5 तारीख को दुर्घटना हुई, 6 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई, पता नहीं 24 घंटे लगे मृत्यु होने में या उससे अधिक लगे, तो डाइंग डैक्लेरेशन न लेने के क्या कारण हैं और इस संबंध में पुलिस ने लापरवाही क्यों दिखाई ?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि यह वक्तव्य में स्वीकार किया गया है कि धनराज की पिटाई की गई और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया। वक्तव्य से यह स्पष्ट से नहीं है कि आखिर धनराज की पिटाई का और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालने का मोटिव क्या था ? क्या मोटिव था अपराधियों का ?

इन तीन प्रश्नों का मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहूंगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, I would like the Government to understand that this incident that had occurred in the constituency of the Prime Minister involves greater questions;

not only arising out of this particular incident, but a number of allied issues. Therefore, if there has been any laxity, it has to be probed and if there has been any failure, it must not be condoned because, when a women is raped, it is not the body of the person which is raped, it is not the modesty of the person which is outraged; it is the honour of the country whcih is outraged. Therefore, the Government has to ensure. The Government has to say whether there has been any failure on the part of the local agencies.

While saying so, Madam. I must confess that this singular incident of outraging the modesty of a woman, more so, a member of an unprivileged community, has been given a special status, an unusually special status by the media, by this hon. House and by many other persons. This is where politicalisation, the unusual politicalisation, of the issue takes place. Naturally, it leads to partisan thinking and partisan outlook. When somebody was speaking of uncovering operations,...

SHRI DIPEN GHOSH: Covering operations. Not uncovering operations.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: When somebody was speaking of covering operations, I thought of uncovering some truth. When somebody was saying that something was being covered up I thought of uncovering an incident. In 1987, in a consituency, in an area, which is known as 'Amethi' wherefrom a particularly important person was elected, the wife of one Mr. Rajkumar was raped and it was widely mentioned everywhere. But at that moment of time, the person who was elected from that area, or, the Government which was ruling the country at that time, did not issue a statement, did not have the courtesy of coming to the House... (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, on a point of order. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is how the issue is being politicalised. If a woman is murdered...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, how are you allowing this? (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If a woman is murdered in the constituency of a partcularly important person, that can be discussed. But if rape takes place in the constituency of another important person, that cannot be raised. This is how the issue is being politicalised.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): I would like to know from the hon. Member whether he raised this issue in 1987 (*Interruptions*) He did not raise it. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I seek your protection. I would like to be informed whether I can speak in this House or not. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, on a point of order. When we were speaking, some people objected that we should confine our clarifications to the scope of the statement. I would like to know whether what Mr. Gurudas Das Gupta is referring to,—about some 1987 incident—comes within the scope of the statement.

SHRI DIPEN GHOSH: I support Shrimati Jayanthi Natarajan so far her point is concerned that the clarifications have to be limited to the *suo motu* statement made here. But may I know from my learned colleague, Shrimati Jayanthi Natarajan, whether what Mr. Bhandare said, in regard to change of constituency by the Prime Minister, arose out of the statement?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My point of order is very simple. I am not interested in what he is saying.

SHRI DIPEN GHOSH: I am not opposed to politicising the issue, because there is politics behind the issue, politics of land relations, politics of economics. In the capitalist, fuedal landlords country there is politics, there is a socio-economic situation which is at the back of all these atrocities on Scheduled Castes, Harijans, weaker sections or women. These things have to be touched upon and assessed. So, I am not opposed to politicising the issue. If you want to stop such kind of atrocities, if you want to stop this kind of incidents, the socio-economic conditions

[Shri Dipen Ghosh]

in the country have to change, these fuedal landlords have to be removed from the economic scene of the country.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Madam, I am on my legs. It cannot go on like that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to say?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I have not yielded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request you to yield for a moment.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I am one with my friend Dipen Ghosh that this class must be eliminated but I still say that when the Prime Minister changes his constituency, these fuedal elements get encouraged.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I have not finished my point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I thought you have completed and I was getting up to reply.

SHRIMATI JAYAHTHI NATARAJAN: I had a lot of material. I wanted to say that there had been five to six incidents in the Prime Minister's constituency and, therefore, this area should be declared as an area prone to atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as according to the Act. They did not allow me to finish. Now he has gone to 1987 which is totally unconnected with the statement. *(Interruptions)*. I am not asking you. I am asking the Chair. Madam, Mr. Gupta was accusing us saying that these people are politicising the issue, but now I want to ask. what is it that he is doing? Is he allowed to go into the incidents of 1987?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is no point of order. This is only a point of reference.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I was well within my argument. *(Interruptions)*. Madam, it is unusual to politicise an incident of atrocity. If the House can discuss the change of constituency, if the House can discuss or submit about other political questions arising out of an act of atrocity, I am within my right to tell the Chair that such and such incident took place in 1987 where the Prime Minister did not feel it necessary to make a statement in the House. At the same time, I feel that this issue should not be politicised. Why do I feel so? *(Interruptions)*. This is tit for tat. I would not have referred to the incident if the Members of the other side had not indulged in narrow politicising of this issue. Let me come to the very root of the problem.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Are you justifying?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are discussing an atrocity and the action that the Government has taken on it, but I have ad different question to ask the Government. If it not a point of hauling up the culprit after the atrocity is committed. The point is, whether it is the National Front Government or the Congress Government, we must prevent committing of the atrocity. Committing of an atrocity must be prevented. For that the society or the Government must say, what will be done to ensure that the raping does not take place, murder and atrocities do not take place on weaker sections? I am saying so because there have been a number of cases. If you look to the statistics, in the years 1986, 1987 and 1988 the numer of atrocities on the weaker sections had been around 15000. It may be marginally less or marginally high. But generally, the number of cases of atrocities on the weaker sections has been around 15,000 all over the country. That is the statistics supplied by the Library of this Parliament. Therefore, the point is that atrocities were there when Mrs. Gandhi was out of power, atricities were there when Mrs. Gandhi came to power.

5.00 P.M.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, you cannot allow all this.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Atrocity has a social root. The political leaders do not understand the point. The atrocity has its social root. Atrocity has

its economic cause. If the social root and the economic cause of the atrocity are not removed, the atrocity will take place whether in the constituency of the Prime Minister, or in the constituency of the ex-Prime Minister, or in the constituency of the Leader of the Opposition, whatever it might be. And in future also it will take place. Therefore the point I ask the Government is, what does it think about bringing about a radical change in the correlation of forces in the countryside so that the people having the land, so that the people having the means of production, so that the people benig elevated to the privileged position do not take to committing atrocities on the weaker sections? Why are these people made the object of atrocity? Because their position is vulnerable, because they belong to the unprivileged class, because they do not have the land, because they are depending for the jobs on others. This was the situtation when the Congress was in power; this is the situation when National Front is in power. That is my contention. Therefore, this continuation of the atrocity has a social base.

My point to the Prime Minister is, is he ready, it is not a question of pulling up this official or not, it is not only a question of finding out the time when the FIR was filed by the local authorities, it is a question of the new Government telling the people, this is the action programme to see that atrocity on the unprivileged does not take place. I do not want fire-fighting. I do not want hauling up of the culprits. I want to ensure a situation where the unprivileged is allowed to a acquire a new economic status in the society, where their economic and social position does not become so vulnerable as it has beiome today in the society.

So, number one qoestion to the Government is—it is pretty serious, Madam—does the Government believe that non-distribution of surplus land is the reason behind these atrocities among the common people? Therefore, what steps the Government believes it can take to ensure distribution of surplus land in most of the States, which has not been done?

Number two, what does the Government think that it should do to ensure that the unprivileged, whether you call them Harijans or not, do have a source of living of their own? For that, are they prepared to come out with a law regulating payment of minimum wages, to come to Parliament for enactment of a law for the agricultural workers in the country? They have been promising it for long. They have been making statements for long. I would like the Prime Minister to say whether they are ready to present before Parliament a Bill concerning agricultural workers of the country.

Number three, I like the Government to say whether it is going to direct all the State Governments that Special Courts should be set up immediately. We should not find fault whether the Congress had done it or not, or whether this Front has not done it. I want the Government to tell us whether it is going to take up the matter of non-setting-up of Special Courts in the States.

Number four, Government must ensure in order that this situation is not created that after some incident has taken place, there should be a discussion. No, I want a situation to be created where the atrocities on the unprivileged are prevented. It is not a question of hauling up the culprits.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Madam, I want to reply to this just now. I quite agree with Das Guptaji that the basic cause is the socio-economic condition.

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: In Fatehpur. We are discussing Fatehpur at the moment.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Fatehpur inclusive...Let me complete...This is a reflection of the socio-economic condition. We have been wherever atrocities have occurred, that it is basically the weaker sections that are affected, by and large, when the worst type of atrocities are there. Therefore, the real remedy lies in making the socio-ecanomic order more equitable. I also agree that this conflict

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

is more intense where land reforms have not taken place. That is why in Bihar, in some areas of U. P. and those States which have implemented land reforms in real terms, there this conflict is not so much. But the other, the socio-econonic order, is still there because of people holding land in *benami*, flouting land reforms and the underprivileged getting nothing, and they are forced to see that they get nothing in spite of the laws and here comes the real clash. Therefore. it is very essential that land reforms are truly implemented. The present Government responding to his first point has decided that it will put the land reform laws under the Ninth Schedule of the Constitution so that the *indefinite litigation going on the landless* gets the *patta* but not the land is reduced and justice is done.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Litigation is one aspect. The other aspect is non-distribution by agencies.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Yes, in that in my perception, they involve also the landless, in the distribution work.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): What about minimum wages?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Just one moment: I am coming to it. Let us be serious.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Minimum wage is not a joking matter.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am coming to that point. But I have not formulated the grammar to meet all the points in one sentence. I am coming point by point; I am coming to it.

In Karnataka there are Land Tribunals in which members of SCs|STs are there. I think I will suggest this to the States and the Chief Ministers, that if we have to give relief, ameliorate the condition of any section of society, that section of sociey should be involved in the management of the affairs of the thing. Otherwise, vested interests always obliterate it and they are unable to reap the benefits of it. That is the main point. Also, in the same light we are coming up with the proposal for giving statutory status to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' Commission.

About minimum wages, here again we want to come with a Central legislation regarding minimum wages for rural areas.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Thank you, Mr. Prime Minister, for this answer.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Without that there is no remedy. In spite of the law, social forces have to be put into action. The destinies of nations are not forged only by legislation. Destinies of nations are changed when the people and the sections affected come forward. Apart from that, we have to rouse them to come forward and make use of this, and we have to stand by them. That is where the Government will be tested and all of us will be tested.

We stand by this proposal. Whatever you have said, it is for the Government to see if there are any lapses and give punishment. But prevention, as he said, is the basic thing. But if the atmosphere is there, that if anybody touches the weaker section he will be punished, that also will be a deterrent. That is the atmosphere we want to build up.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, प्रधान मंत्री तथा कल्याण मंत्री का मानस इस घटना के संबंध में भले ही प्रमाणिकता, सत्य की खोज और अपराधियों को दण्ड देना हो, दुर्भाग्य से इस वक्तव्य में उस प्रमाणिकता का अंश कम दिखाई देता है।

मंत्री महोदय के इस वक्तव्य में कुछ घटनायें हैं, जिनकी तिथियां दी गयी हैं और कुछ घटनायें हैं, जिनकी तिथियों के संबंध में वक्तव्य मौन है। मुझे यह लगता है कि कुछ विशेष घटनाओं

के संबंध, में तिथियों का यह मौन अधिक बोलता है। प्रधानमंत्री जी को इस घटना की जानकारी 10 अप्रैल को हुई, अच्छा होता कि इससे पहले ई होती, लेकिन इस संबंध में इस वक्तव्य में मैं कुछ तिथियों की और कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत राज सिंह और गुलाब सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। तो क्या यह तिथि 10 अप्रैल के पहले की थी या बाद की थी? निश्चित रूप से यह कौन सी तिथि थी? पुलिस अधीक्षक ने जो घटना स्थल का दौरा किया, तो क्या यह दौरा उन्होंने 10 अप्रैल से पहले किया था, 10 अप्रैल के बाद किया? इसका निश्चित रूप से समय और तिथि क्या थी? दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 लगाई गई और आत्मसर्पण 11 को हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अभियुक्तों को पुलिस पकड़ नहीं सकी। इससे यह ध्वनित होता है कि क्योंकि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया की धारा 82 और 83 लगाई गयी इस कारण शायद वे दूसरे दिन 11 तारीख को न्यायालय में उपस्थित हुए हों। तो यदि जो यह धारा 82 और 83 लगी क्या यह 10 अप्रैल के पहले लगी या 10 अप्रैल के बाद लगी? इन तिथियों का महत्व इसलिये है... (**व्यवधान**).... उसकी घोषणा कब हुई। देखिये वे 11 को न्यायालय में आये...

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : घोषणा कब की, प्रोक्लेमेशन कब किया?

श्री प्रमोद महाजन : आपने उनकी जो जमीन है, अगर वे न्यायालय में नहीं आयेंगे, तो वह जब्त की जायेगी, यह कब घोषित किया था? मैं वकील तो नहीं हूं। लेकिन इसका अर्थ यही समझ में आता है। तो यह घोषणा कब हुई। 7,8,9,10 को, कब हुई। क्या इसके परिणामस्वरूप वे 11 को न्यायालय में आये। अगर उसके परिणामस्वरूप आये, तो उसका उपयोग निश्चित रूप से हुआ, यही अर्थ निकलता है। इसलिये यह घोषणा कब हुई 11 अप्रैल को क्या वे आये, यह मैं जानना चाहूंगा?

इसी के साथ यह जो सहायता हुई है, उनकी भी तिथियों का महत्व है। प्रधान मंत्री कोष से सहायता 10 अप्रैल के बाद ही हुई होगी। लेकिन जिला प्रशासन ने, आपने अपने बयान में कहा है कि जमीन और वित्तीय सहायता दी है, तो वह सहायता कब दी गई? मुख्य मंत्री कोष से सहायता कब मिली? क्या ये सारी तिथियां 10 अप्रैल के बाद की हैं? दुर्भाग्य से यदि ये सब तिथियां 10 अप्रैल के बाद की हैं, तो इसमें प्रधान मंत्री ने खुद इस ओर ध्यान दिया यह स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है। प्रधान मंत्री के लिये व्यक्तिगत रूप से यह अच्छी बात है। लेकिन पूरे केन्द्र राज्य प्रशासन के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि जब तक प्रधान मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर न जाय तब तक इस तरह की कोई रचना नहीं होगी। इतनी गम्भीर घटना हुई, उनका इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? इसलिये मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इन तिथियों की जानकारी दें?

मैं अगला स्पष्टीकरण इस संबंध में यह चाहूंगा कि इस वक्तव्य मे स्पष्ट हो गया है कि धनराज का मृत्यु पूर्व का बयान नहीं लिया गया। इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि इतनी गंभीर गलती के लिये जो जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी है, जिनको यह बयान लेना चाहिये था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार ने आज तक की? यदि की है तो उसका ब्यौरा दें कि किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं की गयी है, तो उसका कारण बतायें कि आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अगर अभी तक कार्यवाही नहीं की है, तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके पश्चात भी इस तरह का बयान न लेने के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे,

[श्री प्रमोद महाजन]

उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी या नहीं ?

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो दो अभियुक्त हैं, क्या ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या सक्रिय सदस्य हैं। इस बारे में यदि जानकारी हों, तो दें और अगर वे साधारण व्यक्ति हैं, तो इस संबंध में मैं कुछ नहीं पूछना चाहता।?

उत्तर प्रदेश में विशेष न्यायालय नहीं हैं, यह साफ है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा, विशेष न्यायालय पर यहां बहुत चर्चा हुई, तो जो कानून इसके पहले पास हो चुका है . . .

तो क्या देश के किसी प्रदेश में विशेष न्यायालय की घोषणा आज योजना है और यदि नहीं है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को अलग छांटे जाने का कोई महत्व नहीं हुआ ? अन्त में, मैं केवल इतना ही ही कहूंगा कि देश भर में कहीं भी अनु-सूचित-जातियों जनजातियों पर अन्याय, अत्याचार की घटना हो, प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र में हों या न भी हों तो स्वाभाविक है, निन्दनीय है, और गम्भीर घटना होती हैं। प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र में हो तो स्वाभाविक रूप से अधिक गंभीर बन जाती है, चुनाव क्षेत्र होने के कारण लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सारी मूलभूत चर्चाओं का यह समय नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कानून किसी व्यक्ति को बुरा करने से रोकने का प्रयास करता है, वह भी असफल प्रयास करता है, लेकिन कानून व्यक्ति को अच्छा काम करने की प्रेरणा नहीं देता और अगर इन सामाजिक विषमताओं और आर्थिक विषमताओं को बिना समाप्त किये इस प्रकार की घटना हम किसी एक व्यक्ति पर, किसी भी प्रधान मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री या वर्तमान प्रधान मंत्री के किसी क्षेत्र पर या किसी प्रदेश पर या विशेष जाति पर दोष देकर क्षण मात्र तो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अगर यह सब की समस्या है, तो यह सामाजिक और आर्थिक विषमतायें दूर करके, केवल कानून का के द्वारा नहीं, समाज में जागरण की आवश्यकता है, उस दिशा में भी हम को प्रयास करना होगा, ऐसा मुझको लगता है,। धन्यवाद ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, श्रम और कल्याण मंत्री श्री राम विलास पासवान तथा प्रधान मंत्री जी ने इस वक्तव्य के जरिये तथा सदन में अपने वक्तव्य के जरिय अपनी सदिच्छायें तो जाहिर की हैं, लेकिन घटना जितनी गम्भीर हैं, जितनी चिंताजनक हैं, मैं समझती हूं कि माननीय श्रम मंत्री का यह वक्तव्य उतना गम्भीर और चिन्ता-जनक नहीं लगता है। घटना गम्भीर इसलिये नहीं है कि यह प्रधान मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में घटी है, जैसा कि हमारे कुछ साथी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो, ऐसी ही बात हुई कि मरना हो तो काशी में मरो, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार हों, तो प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र में हों, तभी शायद उनके ध्यान में आ सकें। इसलिये शायद माननीय सदस्यों को, जब 30 तारीख को उन्होंने इस घटना के संबंध में विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सदन का ध्यान खींचा था, उस से ठीक एक दिन पहले, 20 तारीख को मध्य प्रदेश के एक गांव में, जो घटना घटी थी, उसका ध्यान नहीं आया, जिसमें फदली सिंह नाम के एक बन्धुआ मजदूर के हाथ काट दिये गये और काटने वाला कांग्रेस का एक भूतपूर्व जिला अध्यक्ष था (व्यवधान) उपसभापित महोदया, मुझे आपके संरक्षण की इसलिये जरूरत है कि यह मैं बताना चाहती हूं (व्यवधान) . . कि हरिजनों पर किये गये अत्याचारों का विवरण दे कर मैं कोई राजनीतिक रंग इसको नहीं देना चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और जुल्मों की घटनायें हमारे समाज की हकीकत हैं और आजादी के 43 वर्षों के बाद भी चल रही है। इस में कोई कांग्रेस वाला शामिल हो या कोई और हो, मैं केवल हकीकत बयान करना चाहती हूं। इसलिये मेरे माननीय साथी अगर इसको अन्यथा ले

रहे हैं, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : कोई अन्यथा नहीं ले रहा है (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इस घटना के संबंध में जैसा कि मैंने कहा, प्रधान मंत्री जी, ने अपने वक्तव्य में बताया कि 10 तारीख को उन्हें जानकारी मिली। तमाम तारीखों का जो घपला इस मंत्री महोदय के बयान में है, उमसे मुझे लगता है कि जब तक प्रधान मंत्री जी के दफ्तर से कोई निर्देश नहीं गये उससे पहले स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि इस घटना के संबंध में जितने तथ्य आ रहे हैं, यहां तक कि जिस गांव में यह घटना घटी, वह व्यक्ति घायल होकर पड़ा रहा और गांव के तमाम राजपूतों ने एक जुट होकर, संघबद्ध हो कर, यह तैयारी की, साजिश की कि वह अस्पताल तक न पहुंच सके। कोई जीप की व्यवस्था उसके लिये नहीं की जा सकी और उसे अस्पताल भी तभी ले जाया गया, जब पुलिस की जीप वहां पर आयी। इससे जाहिर है कि पुलिस के लिये पर्याप्त समय था कि वह उसका आखिरी बयान दर्ज कर पाते, लेकिन पुलिस ने आखिरी बयान दर्ज करने की कोशिश नहीं की। इससे इस बात का संदेह होता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सामन्तवादी ताकतों के साथ पूरा गठजोड़ है।

इसी कारण उसका आखिरी बयान दर्ज नहीं किया जा सका और प्रधान मंत्री के कार्यालय से जब तक कोई निर्देश नहीं गया, तब तक अभियुक्तों को पकड़ने की कोई कायवाही नहीं हुई। यहां तक कि 11 तारीख को जब उन्होंने आत्म-समर्पण किया तभी उनके खिलाफ कार्य-वाही हो सकी। इस पर हमें ध्यान देना चाहिये।

दूसरा, इस घटना के संबंध में जो तमाम तथ्य आये हैं, उनसे यह जाहिर है कि यह क्षेत्र राजपूतों द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों के लिये बदनाम क्षेत्र रहा है। माननीय मंत्री जी के बयान से मुझे यह कहीं नहीं लगता कि उन्होंने इस नजरिये से इस घटना को देखा है कि राजपूत इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हमला करते रहे हैं या इस क्षेत्र की संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचान की जायें। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस घटना की जांच करते समय माननीय श्रम और कल्याण मंत्री जी ने जो कि अभी अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कई प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं—क्या इस नजरिये से इस घटना को देखने की कोशिश की कि ये जो अपराधी हैं, इनके पास कितनी भूमि है और क्षेत्र विशेष मे भूमि संबंधों का खाका क्या है। इस नजरिये से इस क्षेत्र को देखना चाहिये, जिससे भूमि संबंधा का वहां सर्वेक्षण किया जाता। इसके साथ ही मैं श्रम और कल्याण मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के थानों का संघटन बदला जाये क्योंकि बार-बार जब इस तरह की घटनायें होती हैं, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा साबित होता है। तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में हमें यह देखना चाहिये कि ऐसे थानों में ऐसे अफसरों को नियुक्त किया जाये जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति हमदर्दी रखते हों और इन जातियों मे आते हों तो और अच्छा रहेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि इस घटना की ओर तफसील में जायें। वास्तव में वे अपने नेक इरादों को अंजाम देना चाहते हैं,

यथार्थ की धरती पर थोड़ा और ज्यादा विशद अध्ययन करें, तभी यह हमारे देश के भविष्य के लिये अच्छा होगा। तभी हम अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को न्याय दिला पाने में समर्थ होंगे, जैसा कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने नेक इरादों को यथार्थ की धरती पर तब्दील करके दिखाया है।

धन्यवाद ।... (व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (व्यवधान) आपको मालूम नहीं है... (व्यवधान) तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह हकीकत है ... (व्यवधान)

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) : पांच साल के आंकड़े आप उठाकर देखिए, अगर सबसे ज्यादा मर्डर कहीं हुए होंगे तो पश्चिम बंगाल में हुए हैं... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें... (व्यवधान)

श्री नरेश सी० पुगलिया : सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं ... (व्यवधान) यहां यह जुल्म नहीं होगा... (व्यवधान) मगर आप लोगों ने तो चश्मा पहन रखा है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: She has claimed that much has been done in West Bengal. He cannot endure because ..(*Interruptions*).. This is another instance of narrow political ising.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : शायद माननीय सदस्य उस समय सदन में नहीं थे जब मैंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर चर्चा की शुरूआत की थी वों तमाम सरकारी तथ्य पश्चिमी बंगाल सरकार के नहीं थे, बल्कि केन्द्र सरकार ने दिये थे और उन्हें तैयार करने में आधा हिस्सा आपकी भी सरकार का रहा होगा। उसमें यह बताया गया है कि सन् 1988, 89 में पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की क्रमश: सिर्फ 8 या 9 घटनाएं घटी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मिसाल हैं। ये मेरे तथ्य नहीं हैं, केन्द्र सरकार के तथ्य हैं। अगर माननीय सदस्य अच्छी तरह से देखें तो शायद सदन को गुमराह नहीं करेंगे।

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): May I make a submission? While I admire the statement of the new Member for seeking the clarifications, would you kindly reconsider the general expression that she has used about the Rajputs?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I will look into it.

श्री हेच० हनुमनतप्पा : मेडम डिप्टी चेयरमैन, मैंने सरला माहेश्वरी जी का बयान बहुत ध्यान से सुना। वे जा रही हैं, एक मिनट के लिए रह जायें तो अच्छा हो। आपने फतेहपुर पर अपने पहले वक्तव्य में कहा कि जब तक केन्द्र सरकार ने अपनी आंख न खोलीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर के आफिस से वहां सूचना नहीं गयी तब तक स्थानीय सरकार ने केस दाखिल नहीं किया। कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी केस हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वह दर्ज करने का स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट दर्ज करे, वह एट्रामिटी बन जाता है, अगर छोड़ दिया, लिस्ट में नहीं आता है, तो आठ-नौ बजता है।

आखिर में जो सरला महेश्वरी जी ने मामला उठाया है, उसका जवाब उन्होंने पहले पैरे में ही दे दिया। अब मैं फतेहपुर तक आने के लिए आगे बढना चाहता हूं।

Madam, the Prime Minister is here. His intentions are very clear and he wants to give justice to all these weaker sections and oppressed classes. I am happy. His intentions are very clear. With that hope only people have elected him to be the Prime Minister of this country. Across the floor, we can score points. But we are answerable to the people. We have to answer them. I had high hopes that Raja Vishwanath Pratap Singhji will change the atmosphere and he will bring peace. But, Madam, I am totally disappointed. When the statement says that criminals will not be spared at any cost, I am totally disappointed. I know that personally he is a very good man. He does not want to associate himself in such a thing. But he is surrounded by such people. Sometimes, he has to do a thing which he does not want to do. Unfortunately, he was forced to do such a job just two days back in Karnataka. I do not want to go into the

details. The CBI had a case. Criminal charges were there. A controversial college was there. Much against his wishes, he was dragged there. (*Interruption*). I do not want to go into the details. I admire his intentions. But please take care of the surroundings, of your friends. (*Interruption*).

Before going to the questions, I will add one more point. While discussing atrocities on Schdule Castes also I had mentioned this. I take the opporunity of saying it again in the presence of the Prime Minister here. These atrocities are dealt with by the Home Ministry or the Police Department in the States. And they are monitored by the Home Ministry at the Centre. Paswanji is only the Welfare Minister. He is not a Minister for Atrocities. He does not have control over it. Nor is he monitoring the law and order situation in the States. When the subject of welfare comes, let Paswanji come, discuss and answer. When the subject of atrocities comes, when it is the law and order situation in the States, when it is monitored by the Home Ministry at the Central, I think the Home Minister should take note of it and come out with a statement. I would like to point that if the Home Minister had made the statement, fifty per cent of my questions would not have been there. What is the date of the..(*Interruption*).

श्री राम विलास पासवान : हनुमनतप्पा जी, एक मिनट के लिए जरा मुझे बोलने दीजिए। मैडम इनका कहना सही है कि यह पहले होम मिनिस्ट्री में डील होते थे और होम मिनिस्ट्री इसकी मानीटरिंग करती थी, लेकिन पता नहीं प्रीवियस गवर्नमेंट ने किस कारण इसको वेलफेयर मिनिस्ट्री में दिसम्बर 1985 से डाल दिया और 1986 में यह वेलफेयर मिनिस्ट्री का पार्ट बन गया है।

SHRI M. M. JACOB (Kerala) Are the police officers reporting to the Welfare Minister?

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स का जो मामला था, यह भी श्री शिव शंकर जी जानते हैं, कैबिनट मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत डील हुआ करता था। सारे जवाब होम मिनिस्ट्री से आते थे। लेकिन 1985 दिसम्बर में अलग मंत्रालय करके शेड्ल्ड कास्ट्स एंड शेड्ल्ड ट्राइब्स को इस विभाग में छोड़ दिया गया। उसके बाद दिसम्बर 1985 से सारे की सारी चीज वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा डील होने लगी।

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, it is not proper that the Minister should ask questions and the Members on the Opposition should try to reply to the points that he has made. But factually, I do not think what the hon. Minister has said is correct. I will request him to again go through it. Mistake not. It is only the welfare aspect which was being dealt with in the Home Ministry. The special ministry was created not for law and order purposes. Maybe, he is having this kind of information. He will again go through the order and try to find out whether atrocities on Harijans is also a subject which the Welfare Ministry is supposed to monitor.

SHRI DIPEN GHOSH: This should not be seen as a law and order problem. This is beyond the parameters of the law and orders problem. If that is so, because there was atrocity, the Home Minister is not coming into the picture—this they can say...(*Interruptions*)... It is not a few and order problem....(*Interruptions*)...

श्री राम विलास पासवान : मैंने जो कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं। सारा का सारा 1985 के बाद में इन्होंने वेलफेयर मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है। यह ला एंड आर्डर की बात है तो वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का क्या है, वह तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सैन्ट्रल गवर्नमेंट होता है। ला एंड आर्डर चाहे शैड्ल्ड कास्ट्स का हो चाहे नान शैड्यूल्ड कास्ट्स का हो, यह स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : पासवान जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you going into these details?...(*Interruptions*)... Who should look after or who should not look after is not the matter. Everybody should look after. ..(*Interruptions*)... The Prime Minister is here. He is going to answer everything... (*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If on the Fatehpur incident we can discuss land reforms, welfare measures, etc., because they are the root causes, I can also discuss this. I am on the action plan. What is wrong in that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: O. K. Go ahead. But be brief.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: When Paswanji was in the Opposition and I was in the ruling party, both of us had joined together in asking for this subject to be transferred to the Home Ministry. That was our intention. Even when I was a member of the ruling party, I had demanded that this subject should be transferred to the Home Ministry, because the Welfare Ministry would not be in a position to do it. If the previous Government has not done it, that does not mean that you should not do it. Please see if it is good and if it is good, you do it. That is my request. I want to make use of the presence of the Prime Minister and place the facts before the House.

Coming back to what Mr. Dipen Ghosh and Mr. Gurudas Das Gupta are pleading, that is, for socio-economic reforms, there is one thing more added to it. I would like to know whether the Janata Government also would come out of that. The basic caste system in the country, which divides the Hindus of which the Scheduled Castes also are a part of which I am also a part, which does not even admit him within the *Chatur Varnas*, but makes him a Panchama, is the main reason for the prevailing situation. That is the main reason. So, will the National Front Government come out with any action plan for the complete eradication and total removal of this caste system in the country?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, what are your questions on this?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Now, straight on to the Fatehpur incident, Madam.

What is the date of the report of the District Magistrate? You have said that the Distict Magistrate has reported it. What is the date? Who took Shri Dhanraj to the hospital? What is the name of the nursing home and what is the name of the doctor? When did the police come to know of the incident? Why could not the dying declaration be recorded? Who paid the amount of two thousand rupees and to whom? You have not mentioned anything at all here. दो हजार रुपया दिया गया । किसको दिया, कौन दिया और कब दिया ?

What is the date of registering the case under section 302? When was the FIR filed? On what date did the Police Superintendent visit the spot? Are the accused persons in jail or in judicial custody? Your statement says that they are in judicial custody. Is the trial over? Have they been sentenced and sent to jail? Or, are they in judicial custody? A sum of ten thousand rupees has been paid: by whom and to whom? The Press report says that Kachchi Devi has not been allowed to receive the benefit. You have been saying that you have paid all this. To whom have you paid all this? Who has received this money and the four bighas of land the sums of fifteen thousand and twenty thousand rupees? When was it paid, by whom and to whom? Who has received this money?

Again I go back to Mrs. Sarla Maheshwari. It is a matter of luck for anyone to be killed in the Prime Minister's constituency because the family of the deceased gets forty-five thousand rupees and four bighas of land. Will this apply in the case of all the atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people and will this be given to the families of the deceased because of atrocities in other places also?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Thulasi Reddy. I will request all the Members—there are eight Members more— to be extremely brief.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, each and every Member of the House, irrespective of the party to which he or she belongs, is worried about the atrocities on the Scheduled Castes.

Madam the all-India statistics show that during the period from 1981 to 1986, as many as 1,15,055 crimes against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes were registered. In the Congress (I) ruled State of Andhra Pradesh itself, in many places like Pulivendla, Badaigadda Atmakur, Nagari Batakamma Kunta etc. atrocities were committed. These atrocities are growing not only in Fatehpur, but also in other places in India. In this connection, I would like to seek certain clarifications.

Firstly, there is lack of awareness of the existing laws like the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the SC|ST Act, 1989. What steps are you going to take regarding this?

Secondly, there is hesitation on the part of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe people to approach the police stations. There is reluctance on the part of the police to register even grave crimes. There are delayed visits by investigating officers to the scene of crimes. There are delays in filing charge-sheets. How are you going to solve all these problems?

Thirdly, the State Governments have been advisd to set up Special Courts as per the provisions of section 15(a) of the Protection of Civil Rights Act. How many States have set up these Special Courts and what action are you going to take against those States which have not set up such Courts?

Fourthly, police stations should be set up in atrocity-prone areas exclusively to register cases of crimes against the Scheduled Castes. I would like to know how many States have such police stations

Fifthly, Special Scheduled Caste Cells should be set up at the level of the DIG. How many States have such Cells?

Sixthly, the SC|ST Act, 1989, says that the State Governments should appoint Special Prosecutors for taking up these cases. It also says that payment of travelling and daily allowances to victims as well as to the witnesses should be made. I would like to know how many States are implementing these provisions.

Lastly, I fully associate myself with Mr. Hanumanthappa because I also feel that the caste system as well as the religion-based system should be removed. Only nationality should be there and nothing else. I would like to get replies from the Minister to these questions and also know whether they are going to do anything in this direction or not.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Vishvjit P. Singh.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, having known the Prime Minister for many years, because he was a colleague of ours, I would like to believe that there is no hand either of his or of anybody else connected with him in this incident. I would like to believe this statement in its entirety. I would like to believe the explanations given to us by the honourable Prime Minister before he left and by the Minister of Labour and Welfare. But I find myself unable to do so. I find that my conscience does not allow me to keep quiet because the staement conceals certain things. I will explain it just now. The statement conceals what happened to the brother of Dhanraj; it conceals what happened to Kachchi Devi, wife of Shri Dhanraj; it conceals the reason why Shri Dhanraj was burnt alive; it conceals why the dying declaration was not taken; it conceals the date of registration of the case; it conceals the date of the visit of the Superintendent of Police to the spot; and it conceals—it was finally revealed by the Prime Minister—the date on which Prime Minister came to know about it. It conceals the date on which the Chief Minister gave the money. It conceals the date on which the direction was given. It conceals the date on which the 20,000 was granted from the Prime Minister's Relief Fund. The only thing it does not conceal is that the incident took place on the 5th April and that the statement has come on the 14th May.

[Shri Vishvjit P. Singh]

It does not conceal that. And that speaks volumes. And I will tell you what else it conceals. I charge the Minister to answer me on all these. The action taken by the Superintendent of Police under Section 82 and Section 83 which is the section where you declare or proclaim an offender, where you declare somebody an absconder, and under Section 82 you declare an absconder wanted by the police in a criminal case and ask him to present himself on the spot or at a particular spot and under Section 83 you take possession of his property or his assets, movable or immovable. And I charge that this was done solely with the purpose of not arresting these individuals, of giving them the favour of having gone to the court and surrendering themselves to judicial custody so that they do not have to face police remand where they can be questioned and where the real truth could come out. I charge the Minister with that. I would like to know: Is this true or is this not true? I was not impressed when the Prime Minister got up and started talking about land reforms, when the entire ruling Coalition Front or Munch—I do not know what it is called; whatever it is—tried to obfuscate the focus of the discussion and tried to take it off course to what are the causes of these incidents? We are discussing a specific incident. It would have been wiser and it would have made more sense if they had taken the discussion to that. To say we were discussing the atrocities, no. Why? Because we were discussing atrocities in the constituency of the Prime Minister and I would have been much happier if the Prime Minister had denied while he was here, before going away from this House, that Arjun Singh, Raju Singh and Gulab Singh, these three individuals from Sato Dharampur village, had anything to do with the Janata Dal, with the political campaign of the Prime Minister when he was elected, if he had denied that they were his polling agents either in their houses or in any of their buildings, the offices of the Janata Dal or of the Prime Minister I would have liked the Prime Minister denying that. I would have liked the Prime Minister denying an allegation which has been published in all the newspapers, that one of his close relatives was staying during the election campaign in the house of those three individuals, Arjun Singh, Raju Singh and Gulab Singh. Unfortunately the Prime Minister did not deny this and thought it fit to discuss land reforms. It is that which brings this doubt into my mind. I would like to know from the honourable Minister because the honourable Prime Minister has gone away—he has not waited till the end of the debate though he had said he would give a reply—what the answers are to these questions. The statement, my friend, Mr. Mahajan, said, is screaming with silence on those issues which are not dealt with in it. I want a *specific answer to all these questions from* the honourable Minister—about the dates, about the proclamation under Section 82 and Section 83 by the Superintendent of Police. Obviously he had to go to the court to do it. I would like to know why that was done, because the Prime Minister directed on the 10th that they should be arrested and the proclamation was issued before that. I would like to know why that was done. And is it a fact that these people who were arrested were never in police custody? They surrenderd themselves to the court and since then they have been in judicial custody. I would also like to know from the honourable Minister whether these three individuals themselves or any of their properties were involved in the election campaign of the Prime Minister. Were they involved in the election campaign of the Prime Minister or in the election campaign of the Janata Dal?

I would like to know specific answers to these specific questions. Thank you.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, this discussion has been extremely valuable, but I cannot help feeling that we have not fully appreciated what happened: A man, an Indian, a brother of all of us, Dhanraj, because he does not do

something that some people want him to do—kerosene is poured over him, he is set on fire, he rushes, he screams, he longs for a bed in a hospital, he cannot get it immediately. finally he is taken somewhere else. and then he dies.

Madam Deputy Chairman, this is not a tragedy of an individual. It is not a shame of one part of our country or of one community or caste which has now been mentioned once or twice in this debate, or of a State. It is a shame of the whole nation Another aspect, I feel, that has not quite soaked into us, is that these two men, Raju Singh and Gulab Singh, did something horrible, and we all want them to get the treatment they deserve, but they too are our brothers. (*Time Bell rings*). I will finish in a minute or two. I merely want to say this that we do not take note of this readiness today in so many of us, in so many parts of India, to kill. Our anger leads us quickly to the readiness to kill. And it is not confined to one community. It is in the whole country.

I would like to join in the various questions asked such as why a dying declaration was not taken. I would like to join in seeking an assurance that speedy prosecution will take place. But I would also like to join in asking not only the Minister but all of us whether we are prepared now to work for a social conscience all over the country so that this rapidly growing climate of violence which ends in murders, can be combated.

Thank you. Madam.

कुमारी आलिया (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, 5 तारीख को फतेहपुर में जो घटना हुई, जोकि प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र था मतोधर्मपुर, जहां प्रधान मंत्री खुद गए थे, मगर बड़े अफसोस की बात है कि फतेहपुर तो वे गए लेकिन सातोधर्मपुर नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि वहां के कार्यकर्त्ता राजूसिंह एवं गुलाबसिंह, इन दोनों लोग का प्रेशर था कि वहां पर जाने पर उनसे सवाल किया जाएगा। वहां की जनता सवाल करेगी, कुछ प्रेस के लोग दिल्ली से गए हुए थे, इसीलिए माननीया महोदया, फतेहपुर जाने पर भी प्रधान मंत्री वहां नहीं गये जहां कि घटना थी। मुझे बड़ा दुख है कि प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबल जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को जिंदा जलाया और जलाने के बाद उन पर इतनी देर से कार्रवाई की गई। इमीडिएट कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस अधीक्षक जो थे, उन्होंने उनका बयान इतनी देर से क्यों रिकार्ड किया? यह बड़े शर्म की बात है और दुख है कि यदि इसी तरह से लापरवाही होती रहेगी तो देश के अंदर बहुत ही ज्यादा साम्प्रदायिक ताकतें अपना सर उठाएंगी।

दूसरी बात मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि राजूसिंह और गुलाबसिंह, जो प्रधान मंत्री के क्षेत्र में कार्यकर्त्ता थे, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई इतनी लेट की गई और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 की कार्रवाई जो है वह तुरन्त क्यों नहीं की गई और उनका सामान कुर्क क्यों नहीं हुआ?

महोदया, ऐसा क्यों हुआ, इस जानकारी मैं आपसे यह चाहती हूं कि धनराज की पिटाई करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कब दौरा किया, किस टाइम पर किया, किस तारीख को किया? यह जानकारी भी सदस्यों को नहीं दी गई। इसकी जानकारी मैं चाहती हूं।

धन्यवाद।

डा० अबरार अहमद खान : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, स्वतः ही इस बयान से यह महसूस हो रहा है कि इसमें काफी कुछ बातें छिपाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए, तालियाँ बजवाकर चले गए। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूर्ण रूप से पहले से व्यवस्था करवाकर आए थे कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाए जिससे मैं लैंड रिफार्म की बात कहूं, मिनिमम वेजेज की बात कहूं, तालियां बजें, और शाम को टी० वी० की न्यूज बन जाए और आप भी सुन लेना और मैं

[डा० अबरार अहमद खान]

भी सुनूंगा आप को कि यह जो संवेदनशील घटना है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह शायद टी०वी० पर न आए लेकिन मिनिमम वेजेज और लैंड रिफार्म की बात जो सदन में प्रधान मंत्री जी ने कही है... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : विपक्ष के कितने नेता मोजूद हैं, आप देख लीजिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्लैरिफिकेशन मांगते थे, वह कहां हैं ?

डा० अबरार अहमद खान: महोदया सत्ता पक्ष के साथियों को इस बात पर बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने सच्चाई को आपके सामने रखा है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब इस संवेदनशील घटना पर यहां बहस हो रही थी, स्पष्टीकरण पूछा जा रहा था, सवाल-जवाब हो रहे थे और बीच में इस प्रकार तालियां बज रही थीं। यह दुखद बात है।

महोदया, दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने स्पष्टीकरण के अंदर यह दलीलें दीं कि फलां सन में इतने अनुसूचित जाति के लोग मारे गये थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय वह विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे लेकिन तब भी वह मसले हमने उठाए थे ... **(व्यवधान)**

SHRI KAMAL MORARKA. Is he seeking clarifications on the statement or seeking clarifications on clarifications?

डा० अबरार अहमद खान : महोदया जो दलीलें यहां दी गई इसके जवाब में कि फलां सन में इतने आदमी मारे गए और फलां सन में इतने आदमी मारे गए, जैसे कि कोई प्रतियोगिता हो रही है। आपको इन सवालों को उठाने से किसने मना किया था ? तब भी हमने उठाया था और आज भी हम उठा रहे हैं।

महोदया, मैं अपने सवाल पर आ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में जो बात कही गई है, इसमें बहुत सामान्य सी बात यह है कि मरने वाले व्यक्ति धनराज को कितने बजे आग लगाई गई क्योंकि अब तक तो काफी देर हो गई है और पुलिस के माध्यम से इनको मालूम हो गया होगा कि कितने बजे उसकी मृत्यु हुई ? इन दोनों बातों को इसमें छिपाया गया है।

उपसभापति : सब लोगों ने यह सवाल पूछा है। आपने कोई और सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए ... **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : आपको परेशानी क्यों हो रही है ?

उपसभापति : 6 बज रहे हैं इसलिए।

श्री कमल मोरारका : आपकी बात सुन क हम परेशान हैं।

डा० अबरार अहमद खान : परेशान तो होंगे ही। परेशान क्यों नहीं होंगे ... **(व्यवधान)**

श्री कमल मोरारका : सौ-सौ चूहे खाक बिल्ली हज को चली ... **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : माननीय उपसभापति महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से कि सबसे पहले धनराज के परिवार के लोगों ने या उसके गांव वालों ने कौन से पुलिस स्टेशन पर एफ०आई०आर० दर्ज कराने के लिए संपर्क किया था और क्या वहां उस पुलिस स्टेशन पर एफ० आई० आर० दर्ज की गई और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर दर्ज की गई तो उसकी क्या तारीख थी और क्या समय था ?

इसके साथ ही साथ जब आग लगाने और मरने के बीच 24 घंटे से ज्यादा का समय था तो उसका बयान क्यों नहीं लिया गया और क्या उसका मेडिकल कराया गया था ? इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 22-4-90 को न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। महोदया, मेरे काबिल साथी धनखड़ जी यहां बैठे हुए हैं जो जयपुर हाई कोर्ट में बड़े अच्छे वकील रहे हैं। महोदया, किसी भी केस की अगर कोई बुनियाद होती है तो वह आरोप-पत्र होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया तो उसमें क्या आरोप लगाए गए ?

क्या उसमें मात्र एक व्यक्ति को आग लगाकर मार देने का आरोप लगाया गया या उसके पहले जो कुछ उसके साथ हुआ, वह भी आरोप-पत्र में शामिल है ? क्या यह बात सही है कि उस क्राइम का कारण उनके द्वारा उसकी पत्नी की मांग करना था ? क्या यह बात सही है ? अगर सही नही थी तो क्या कारण था जिसकी वजह से उसको जिन्दा जला दिया गया ?

महोदया, उसके इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि उसके पार्थिव शरीर को 6 तारीख को कोर्ट में लाया गया, कलक्टर के सामने लाया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके आग लगने, मरने और उसके पार्थिव शरीर को कोर्ट में लाने तक क्या किसी अधिकारी को इसकी सूचना थी ? यदि किसी अधिकारी को इसकी सूचना थी तो किस स्तर के अधिकारी को इसकी सूचना थी ? और जो दो हजार रुपये दिये गये हैं वह क्या उनके मांगने पर दिये गये है ? या इस घटना के घटित होने पर किसी अधिकारी ने उनके मांगे बगैर स्वयं जाकर उनको दिये गये हैं ? और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के बाद अब तक वहां क्या उस गांव के अंदर इस सरकार का कोई मंत्री गया है ? प्रधान मंत्री जी जब फतहपुर गये तो वह या नहीं उस गांव में गये ? इस बात को भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । यह भी कहा गया है कि उन लोगों ने 11-4-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 तारीख की घटना और 11 तारीख को कोर्ट के अंदर आत्मसमर्पण किया और वह भी पुलिस ने नहीं पकड़े तो जैसा मेरे साथी महाजन जी ने कहा, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत लगती है और पुलिस की मिलीभगत थी । लेकिन क्या मुझे इसमें संदेह है कि ऐसा तो नहीं है कि 10 तारीख को यहां संसद में कुछ लोगों ने स्लोगंस दिये तो यहां के कुछ राजनेताओं की भी उसमें मिलीभगत थी और जब बात यहां तक पहुंच गयी तो उन लोगों को यह निर्देश दिये गये कि अब कोर्ट के अंदर आत्मसमर्पण करदो और पुलिस को डॉयरेक्शन दिये गये कि तुम इनको न पकड़ो, क्या ऐसी बात तो नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करेंगे ?

उपसभापति : जल्दी खत्म कीजिए, 6 बज रहे हैं ।

I will adjourn the House. You cannot go on like this.

डा० अबरार अहमद खान : आप कह रही हैं तो मैं आखिरी बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । इसके साथ उत्तर प्रदेश में और भी इन दिनों इस प्रकार की कितनी घटनायें घटी हैं और अगर घटी हैं तो उनमें माननीय मंत्री जी क्या ऐक्शन ले रहे हैं ? धन्यवाद ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदया, मैं समय नहीं लूंगा । यह जो माननीय मंत्री जी का बयान आया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रधान मंत्री जी को ज्यों ही जानकारी हुई उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को और फतहपुर के डी.एम. को आदेश दिया । बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता की धनराशि भी मृतक के आश्रितों को दी । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी पंद्रह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी और कार्यवाही का निर्देश दिया । जमानत मिली और जिला प्रशासन ने भी सहायता की ।

महोदया, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह दुखद घटना है और चिंता का विषय है । लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि इसको राजनीतिक स्वरुप दिया जा रहा है । कांग्रेस के माननीय सदस्यगण जो उस पक्ष में बैठते हैं, मैंने उनका बयान, उनके स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना । उसमें उनकी संवेदना नहीं मालूम पड़ती

[श्री ईश दत्त यादव]

है और यह नहीं कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये । एक माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र परिवर्तन का का सवाल पूछ रहे हैं । एक आदमी की हत्या हुई और प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र परिवर्तन की बात पूछ रहे हैं । कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि हमारी पार्टी के वर्कर्स लाश को जुलूस के रुप में कचहरी में लेकर के आये । मान्यवर, यह दुखद चीज है, इस घटना से भी ज्यादा चिंता-जनक चीज है, यह राष्ट्रीय सवाल है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं या उनका जो उत्पीड़न हो रहा है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसको हमें पार्टी और दलगत भावना से उठकर के सोचना चाहिये । अभी चार-पांच महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी । समय नहीं है और न मैं उनको गिनाना चाहता हूं कि कितने हरिजन इस देश के अंदर जिंदा जलाये गये कांग्रेस के राज्य में । कितने अनुसूचित जाति के लोगों को उत्पीड़न किया गया, मैं उसकी गणना नहीं करना चाहता और न उनका उल्लेख करना चाहता हूं । केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि जिनका घर कांच का है शीशे का है वह दूसरे के ईंट से बने हुये मकान पर पत्थर फेंकने का साहस न करें । पूरे 42 साल तक आपने इस देश के अंदर हरिजनों का जो उत्पीड़न किया, हरिजन या अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जिंदा जलाये गये, हमको दुनिया में इस तरह की कहीं मिसाल नहीं मिलेगी । महोदया, इसलिये आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि यह राष्ट्रीय समस्या है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए । मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि किस डेट को एफ.आई.आर. हुई और किस दफा में चार्ज शीट हुई, यह न्यायिक प्रक्रिया है या इन्वेस्टीगेशन प्रक्रिया है इसलिए यह मामला हमारी तरफ से समाप्त है, प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र से समाप्त हो गया है ।

6.00 P.M.

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है इसमें केवल विचारणीय विषय यह है कि अगर घटना किसी अधिकारी की लापरवाही से हुई है तो वह दंडित किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, केवल सरकार के सामने यही दो विषय रह जाते हैं । इस घटना से सम्बन्धित कि किस दफा में चार्ज शीट हुई और कितनी सजा दी जाए और कौन मुलजिम जेल में बंद है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, न्यायलय के अधिकार क्षेत्र में है । मैं इस बात को गम्भीरता से कहना चाहता हूं जो मेरा स्पष्टीकरण भी होगा और यह अलार्मिंग भी है कि 5 तारीख को घटना हुई और पांच को ही उस मृत व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकिन 6 तारीख को जब उसकी मृत्यु हुई उस समय तक उसका डाईंग डिक्लेरेशन रिकार्ड नहीं किया गया । यह आवश्यक है । देश के कानून में इस तरह की व्यवस्था है कि जब आदमी एडमिट होता है अस्पताल में तो वहां के डाक्टर की जिम्मेदारी होती है कि तुरन्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरह की रिपोर्ट भेजें कि आदमी की हालत खराब है । यह मर सकता है, होश-हवास में है इसलिए किसी मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम अधिकारी को भेज कर उसका डाईंग डिक्लेरेशन ,मरने के पूर्व का बयान रिकार्ड किया जाए । एक चीज जरूर है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे भर्ती किया गया था, सरकारी अस्पताल में नहीं था सम्भवत: प्राइवेट नर्सिंग होम का डाक्टर इस प्रोसिजर को न जानता हो और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट न की हो । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट को इस तरह की सूचना दी गयी थी कि यह आदमी जो मर रहा है इसका डाईंग डिक्लेरेशन रिकार्ड हो जाना चाहिए ? अगर सूचना मिली है

फिर भी डाइंग डिकलेरेशन रिकार्ड नहीं किया गया है तो वह अपराधी है, दोषी है। ऐसी अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए।

दूसरे मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री की बड़ी आलोचनायें उस पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने की लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि देश की सरकार और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जहां-जहां जनता दल की सरकारें हैं वहां की सरकारें अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर उत्पीड़न न होने पाये इस के लिए प्रयासरत हैं और हर कठोर कदम उठा रही हैं। इसके लिए प्रदेश की सरकारें और केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है। मैं अंत में कल्याण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस समय तत्काल क्या कठोर कदम उठाने जा रही है ताकि जनजाति और अनुसूचित जातियों का भविष्य में उत्पीड़न बंध हो और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो? धन्यवाद।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: There have been atrocities and he is congratulating the Minister. Wonderful.

SHRI M. M. JACOB. Madam, how many more Members are there? If it is a long list, we can have it tomorrow

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are only two Members.

SHRI M. M. JACOB: The Minister can reply tomorrow.

श्री राम विलास पासवान : मैं चाहता हूं इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसको आज ही खत्म कर दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आपके यहां कौन इंटरेस्टेड है? जो क्लेरिफिकेशन चाह रहे थे सब चले गये हैं **(व्यवधान)**

All have gone.

SHRI M. M. JACOB. Members are here. They have not gone. They are outside.

SRI DIPEN GHOSH: This is the seriousness.

श्री मोहम्मद अफजल (उत्तर प्रदेश): मोतरमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, वजीरे मेहनत ने हाउस में जो बयान दिया है मैं उस के ताल्लुक से एक बहुत सी बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जुल्म किसी पर भी हो वह गलत है लेकिन खासतौर पर जब कमजोर और पिछड़े तबके पर कोई जुल्म होता है तो यकीनन यह मामला ज्यादा गम्भीर हो जाता है। ज्यादा गम्भीर बात हो जाती है, ज्यादा तवज्जहतलब बात हो जाती है, लेकिन मैं यहां पर वज़ीरे मेहनत से सवाल नहीं करना चाहता हूं, बल्कि इस हाउस के तमाम मुअजिज मेम्बरों से सवाल करना चाहता हूं। जुर्म के सिलसिले में इंसाफ के पैमाने क्या दो हो सकते हैं? यह सही है कि कमजोर और पिछड़े तबकात के साथ जो जुर्म होते हैं उसके सरकमस्टान्सेज और हालात यकीनन दूसरे हालात से मुख्तलिफ होते है, लेकिन मैं एक वाकया इस हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब यह वाकया हुआ था तो मैं इस सदन का मेम्बर नहीं था। हमारे अपोजिशन के मुजिज मेम्बर ने यह ऐतराज भी किया कि जो वाकया फतेहपुर में हुआ उसके 16 घंटे के बाद मुलजिमात को पकड़ा गया। उन्होंने बड़ा सही सवाल उठाया। 16 घंटे की देर भी क्यों हुई। उसे तो आधे घंटे में पकड़ लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूं कि आधे मिनट में पकड़ लेना चाहिए था ... **(व्यवधान)**

श्री एच. हनुमानतप्पा : 16 घंटे के बाद भी नहीं पकड़ा गया।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : छः दिन के बाद पकड़ा गया ... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल : यह यकीनन बुरी बात है। मैं एक वाकया नोटिस में लाना चाहता हूं। मई 1987 को दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेरठ के एक इलाके शास्त्री नगर के अन्दर सुबह साढ़े 10 बजे एक 35–40 साल की औरत मुतजिज बेगम को अपने घर से घसीट कर निकाला, उस पर लाठियां बरसाई, उस पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़का और फिर आग लगा दी। वह और थोड़ी दूर तक भागी और गिर गई। उस पर लाठियां बरसाई गई और थोड़ी देर के बाद वह मर गई। मेरे इल्म में यह बात आई, इसलिए मैं बता रहा हूं। वह मोब चला गया और दूसरी जगहों पर उसने इसी तरह के वाकयात दोहराये। वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि उस औरत का आधा हिस्सा तो जल गया है और कुछ हिस्सा बाकी है। दोबारा उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी ताकि शिनाख्त न हो सके। यह वाकया मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जो वाकया फतेहपुर में हुआ उसकी वजह से मुझे इसकी याद आई। मेरा जाति ताल्लुक इस वाकये से हैं। इस हाउस को मैं बताना चाहता हूं कि अब मैं इस हाउस का मेम्बर हूं। वह मरने वाली औरत मेरी कजन थी, फूफी जात की बहिन थी। लेकिन ज्यादा हैरत की बात मैं आप लोगों के सामने यह लाना चाहता हूं कि जैसा मुअजिज मेम्बर ने फरमाया कि नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है, मैं यह बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि एक बात कह कर कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। उस मोब को लीड करने वाला कौन था जिसने उस 35–36 साल की औरत को जिन्दा जला दिया? उसका नाम था दामोदर शर्मा जो कांग्रेस का एम एल ए था, एफ आई आर उसके नाम से दर्ज है। उस औरत के शोहर ने मेरठ के शास्त्री नगर थाने में दामोदर शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ.. **(व्यवधान)**। मेडम, मैं नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि उस औरत को मारे हुए तीन साल गुजरने के बाद भी कोई कम्पेंसेशन नहीं पे किया गया है। उस औरत को लापता करार दिया गया है। जब कि उसके बच्चे पड़ौसियों ने कहा है कि उस औरत को जलाया गया है। लेकिन पुलिस कहती है कि वह लापता है दामोदर शर्मा आजाद फिरता रहा। यहां 6 दिन बाद, 16 घंटे बाद, जैसा कि मोअजिज मेंबरान ने फरमाया कि गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देखिये, सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सवाल इसका नहीं है कि गिरफ्तार किसी को कर लिया जाय, सवाल इसका भी नहीं है कि कितनी जल्दी कार्यवाही की जाय। अहमतरीम बात यह है, बहुत ही अहम बात यह है कि हमको यह देखना चाहिये कि जब कमजोर तबकात पर, पिछड़े हुए तबकात पर या माइनारिटीज पर या गरीब लोगों पर कोई जुल्म होता है और जुल्म इस प्रकार का हो जिसमें आदमी को जिंदा जला दिया जाय तो क्या इस जुर्म करने वाले को दो महीने में, 6 महीने में, साल में, दो साल में या 6 साल में सजा मिलती है कि नहीं। यह सही है कि हमारे मंत्री महोदय ने कह दिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी और सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जायेगा, लेकिन मैं यहां पर अपने सवाल में एक बात जोड़ता हूं। हम इस चीज को मानते हैं कि राज्य सभा और लोक सभा में सवाल उठाये जाते हैं जब जुल्म होते हैं। लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब वे रिहा होते हैं, उनको सजा नहीं होती है तो उसका कोई नोटिस यह सदन नहीं लेता हैं। मेरी ख्वाहिश है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो वाक्या हुआ है फतेहपुर में जिसमें कुछ मुजरिम पकड़े गये हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिये सरकार की पूरी कोशिश होनी चाहिये। श्री राम विलास पासवान जी को यहां पर यकीनदाहिनी करनी चाहिये और मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या वे यकीनदाहिनी करायेंगे कि जब उनको सजा होगी तो उनकी वजारत इस हाउस को उससे मुत्तला करेगी कि उन

श्रादमियों को सजा हुई या नहीं हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया।

उपसभापति : जब आपका नाम पुकारा जाता है तो आप नहीं होते।

This is not the way. You should be in the House. I am allowing you now. Next time I am not going to allow you. And don't make a rumpus in the House for that.

एकदम संक्षेप में पूछिये। मंडल कमीशन पर मत जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे अंत में बोलने का समय दिया।

मंत्री जी के वक्तव्य का जो लास्ट पैरा उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात कह दी गई है और मैं समझता हूं कि यह बड़-बोली की बात है, बहुत बढ़कर बोलने वाली बात है और इस बयान में कितना कंपास बढ़ा दिया गया है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इससे इनका मतलब क्या है। यह अंग्रेजी वाला बयान मेरे पास है। अगर हिन्दी वाला होता तो ज्यादा अच्छा होता।... (**व्यवधान**)... मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। लेकिन मैं हिन्दी के माध्यम से पूछना चाहता हूं इसमें लिखा गया है कि मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरूद्ध सभी अपराधों और अत्याचारों को समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है। तो इसमें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समझ में बात आती है लेकिन समाज के कमजोर वर्गों से अंग्रेजी में है पूअर सेक्शन्स आफ दी सोसायटी तो पूअर सेक्शंस का मतलब क्या है? किस हद तक पूअर को खींच कर ले जाएंगे उसमें कितनी आमदनी तक ले जाएंगे? अगर उसको लेते हैं तो समाज के कितने परसेंट लोग उसमें आएंगे क्योंकि 24 परसेंट तो यही है और फिर अगर किसी दूसरी जाति पर मान लीजिये अत्याचार हुए किसी बनिया पर, किसी कहार पर, किसी ब्राह्मण पर, अगर वह गरीब है (**व्यवधान**) पूअर सेक्शंस में मंडल कमीशन नहीं आता है, आप हंसिये मत, यह गम्भीर सवाल है। पूअर सेक्शंस जनरली आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसका दायरा बढ़ा और उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत सब आते हैं। जब उन पर अत्याचार होगा उसके लिए आप कटिबद्ध है या नहीं है, अगर हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। मैं आपसे सफाई चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो कमजोर वर्ग आपने लिखा है, अंग्रेजी में पूअर सेक्शंस लिख दिया है तो क्या यह दोनों का कंट्रास्ट वीकर सेक्शंस और पूअर सेक्शंस नहीं है, इसलिए मेरे मन में जो बात आई (**व्यवधान**)

उपसभापति : पूअर भी वीक होते हैं। वह गरीब होते हैं इसी वजह से वीक होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए दोनों बातें ठीक हैं वीकर भी हैं और पूअर भी हैं। इसलिए अब आप आगे बढ़िये

श्री राम अवधेश सिंह : आगे मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें यह इनका दायरा जब बढ़ता है तो सचमुच क्या वह सरकार तमाम गरीबों के खिलाफ जो अत्याचार होंगे उनके बचाव के लिए प्रतिबद्ध हैं जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है उसी लाइन पर क्या यहां बहस हो सकती है? क्योंकि संसद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की एट्रोसिटीज़ पर बहस हो सकती है लेकिन पूअर सेक्शंस जो जोड़ा गया है उसके ऊपर बहस नहीं होती है। क्या इस बहस की गुंजाइश अब आगे रहेगी? नम्बर दो, इसमें लास्ट वाक्य है——

[श्री राम अवधेश सिंह]

In this regard the Central Government will also seek.

राम विलास पासवान : आप हिन्दी में पढ़िये, हिन्दी में ओरिजिनल हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : दोनों में अंतर है इसलिए मैं पढ़ रहा था।

श्री राम विलास पासवान : असली जो मंत्री लिख कर देता है वही वक्तव्य पढ़िये। मेरा वक्तव्य हिन्दी में आप पढ़िये आपको एकदम समझ आ जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : इसमें दो शब्द सीक एंड एक्सटेंड लिखे है। दोनों का यहां अलग-अलग संदर्भ है, इसलिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। इसका क्या मतलब है, आपने जो लिखा है,—— The Central Government will also seek. and extend the fullest cooperation to the State Governments. सीक का क्या मतलब हुआ, एक्सटेंड का क्या मतलब हुआ ? सीक का मतलब है आप उससे कोआप्रेशन खींचेंगे और एक्सटेंड का मतलब है आप देना चाहेंगे तो क्या आपको सहायता देने में अपनी सहायता का विस्तार करने में, राज्य सरकारों तक पहुंचाने में कोई कठिनाई है ? यह जो आप लिख रहे हैं एक्सटेंड करेंगे और उसको सीक करेंगे तो क्या उसकी सहायता लेना या सहायता देने में आपको क्या कोई बाधा है अगर बाधा है तो क्या बाधा है, यह बताइये। यही मेरे दो सवाल हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, मैं राम अवधेश जी से ही शुरू करूंगा और एक-एक लाइन में जवाब दे दूंगा। वीकर सेक्शंस का जब बात आती है तो जहां हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं वहीं इस देश में महिलाएं भी हैं, वहीं इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, वहीं इस देश में दूसरे गरीब लोग भी हैं, यह सब हैं। जहां तक दूसरा प्रश्न जो आपने किया है उसका जवाब मिल जाता है। आपने सीक और एक्सटेंड (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : आपने पुअरर सेक्शंस आफ दी सोसायटी कहा है (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैंने कहा कि हिन्दी में जब मैं पढ़ता हूं, अपना वक्तव्य देता हूं तो आपको उसका ट्रांस्लेशन अंग्रेजी में मिलता है। काफी माननीय सदस्य जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हिन्दी में प्राय: नहीं बांटा जाता है। लेकिन जब मैं हिन्दी में पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से अंग्रेजी की कापी भी बांटी जाती हैं। लेकिन आर्थेटिक हिन्दी होता है जिसमें हमने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोग वही होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में आज तक बहस होती आई है और जिसको आप कमजोर वर्ग समझते हैं। इसलिए मेरी अपनी निश्चित मान्यता है कि जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जवाबदेही केन्द्रीय सरकार के ऊपर है। उन पर होने वाले जुल्म और अत्याचारों के ऊपर सदन को पूरा हक है कि विचार करें और उसके लिए सारी की सारी नीतियां बनावे लेकिन समाज के जो कमजोर वर्गों के लोग हैं दूसरे भी कमजोर वर्गों के गरीब लोग हैं उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उपसभापति महोदया, अभी हमारे माननीय ने... (व्यवधान)

उपसभापति : राम अवधेश जी प्लीज बैठ जाइये। आप इन्टरप्ट करेंगे तो मैं ऐलाउ नहीं करूंगी। इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं सफाई चाहता हूं।

उपसभापति : सफाई बाद में होगी। अभी बैठिए उनको जवाब देने दीजिए... (व्यवधान) अभी बहस नहीं करेंगे, आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : आगे केन्द्रीय सरकार यहां बहस कराएगी पुअरर सेक्शंस पर कि नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्यों ने पहले घटना की जानकारी मांगी है। बिना इधर उधर गये मैं सिर्फ उसको बतला देना चाहता हूं। घटना 5–4–90 को सांयकाल 4 बजे घटी, ऐसा रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज है। एफ॰आई॰आर॰ उसी दिन रात 10 बजकर 15 मिनट पर की गयी। मृत्यु 6–4–90 को हुई। डी॰एस पी॰ 6–4–90 को घटना स्थल पर गये। एस॰ पी॰ उस दिन इलाहाबाद में थे इसलिए एस॰ पी॰ साहब 7 अप्रैल, 1990 को 11 बजे दिन में गये। पहले घटना धारा 307 के अंतर्गत थी, मृत्यु होने के बाद उसको 302 में बदल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो व्यक्ति मेरा वह बयान के लायक नहीं था, इसलिए बयान उससे नहीं लिया जा सका। 7–8 अप्रल को जब पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही, या उसको पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी तो 7 और 8 को कुर्की जब्ती के आदेश न्यायालय से लेकर कुर्की जब्ती का आदेश ही नहीं किया गया बल्कि कुर्की की गयी, कुर्की करने के बाद 11 तारीख को आत्मसमर्पण किया और उसी दिन उसको जेल में भेज दिया गया और अब तक वे दोनों जेल में हैं ...(**व्यवधान**) 22–4–90 को आरोप पत्र न्यायालय में दर्ज कर दिया गया... (**व्यवधान**) जहां तक हमारे साथी ने कहा, एक सवाल उठाया है विश्वजीत पृथ्वीजीत जी ने जो अभी बोल रहे थे कि वह आदमी कौन है। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन वह आदमी यही है, जो आदमी पहले भी 302 के अंतर्गत आजीवन सजा प्राप्त कर चुका हैं। आजीवन कारावास की सजा हुई थी 14–1–85 को राजू सिंह को और 302 धारा के अंतर्गत एक किसी अंतू पंडित की हत्या के अभियोग में 14–1–85 को सजा प्राप्त कर चुका है। इस संबंध में अतिरिक्त सत्र जिला न्यायालय, फतेहपुर से 12–2–86 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। परन्तु उच्च न्यायालय में अपील के कारण इस समय वह जमानत पर था। इसलिए यह कहना कि वह किसी पोलिटिकल पार्टी का सदस्य था, ठीक नहीं और उसका जो चाल चलन है वह आप समझ सकते हैं कि जो आदमी आजीवन कारावास की सजा पाया हो उसका क्या हो सकता है. .(व्यवधान) पहले मेरी बात सुन लीजिये। जो नीतिगत मामला है...(व्यवधान) विश्वजीत जी जरा सुन लीजिये-वह प्रधान मंत्री जी ने बतला दिया है...(व्यवधान) आपने फैक्टस की जानकारी चाही है। वह तो फिर दुबारा पढ़ सकता हूं। लेकिन इतना ही आपने क्लैरिफिकेशन पूछा था जिसका उत्तर मैंने बिना कोई इधर उधर किये दे दिया है। नेता विरोधी दल यहां बैठे हुये हैं, इतना तो एप्रीशियेट कीजिये कि हमने ठीक किया है। उसके बाद घटना का मामला है..(व्यवधान) घटना सरकार ने दर्ज नहीं कराया है बल्कि घटना या एफ.आई.आर. सीधी के लड़के ने दर्ज कराया है मैं उस एफ.आई.आर. को पढ़ देता हूं कि क्या उन्होंने दर्ज कराया था "5-4-90 को श्री राम खिलावन पुत्र सोखी निवासी ग्राम सातधर्मपुर ने थाना असाधर में प्रथम सूचना अंकित कराई..(व्यवधान)

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : ये पुलिस से मरवाते हैं। यह उनका अंगूठा लगवाया गया है। हर अखबार में आया है। आप उस बयान को पढ़ रहे हैं आप ये कर रहे हैं। मंत्री कुछ सोचिए। फिर आप कहलाते हैं अपने कुलीग से कि वे आपको कांग्रेचुलेशंस दें। ऊपर से आप यह पढ़ते हैं। क्या बात है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : इनका क्या इंटरेस्ट है ?

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति जी, जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर ही तो सारा स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह यह वही रिपोर्ट है जो राम खिलावन को पुलिस ने मार कर उसका अंगूठा लगवाया है। यह रिपोर्ट अखबारों में भी आई है। यही वह रिपोर्ट है, कुच्ची देवी जिस दिल्ली में आकर इसके बारे में आन्दोलन किया और जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कुछ युवकों ने लोक सभा गैलरी में नारे लगाये।

श्री विश्वजीत सिंह पृथ्वीजीत सिंह]

वह इसी रिपोर्ट के बारे में नारे लगाये और आप यह जुरंत कर रहे हैं कि कि इसी रिपोर्ट... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever he is reading, he has a right to read. If you have any objection, you may raise it after he finishes. I would not like you to interrupt the Minister while he is reading, because the House wants to know what is going on. So, let him read whatever he is reading. You can speak afterwards. I request you to please take your seat.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Will you allow me to speak afterwards?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak first. Then let us see what is going on. You asked for the FIR. He is reading it. Let him finish it at least. at least.

श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी : जो बाबू लोगों ने लिखा है, वही आप पढ़ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उसमें लिखा है—

"श्रीमान अध्यक्ष महोदय, थाना असोधर, महोदय, सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी राम खिलावन पुत्र सौखी ग्राम सातो धर्मपुर का रहने वाला हूं। आज मेरा भाई धनराज ने गांव के ही राजू के यहां गेहूं काटा था।

शाम को करीब चार बजे राजू ने मेरे भाई को टयूबवैल से एक छोटे बोरे में गेहूं दिया कि इसे बेच कर पैसा लाओ। गेहूं बेच कर मेरे भाई राजू ने शराब पी। शराब पीने के बाद आते समय मोती बनिया की दुकान के सामने रूक कर राजू ने कहा कि मोती बनिया के साथ मारपीट करो, मैं तुम्हें पचास रुपये दूंगा।

मेरे भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद मेरा भाई घर आ गया। शाम करीब, सात बजे राजू और गुलाब पुत्र सुमेर सिंह मेरे घर से मेरे भाई को बुला कर ले गये। करीब आधा घंटे के बाद मेरा भाई राजू के कारखाने की तरफ से जिसके शरीर में आग लगी थी, भागता हुआ आया और मलदाह के तालाब में आग बुझाने की नीयत से कूद गया।

इस घटना को मैंने तथा मेरे चचेरे भाई और गांव के बहुत से लोगों ने देखा। हम लोगों ने भाग कर उसे तालाब से निकाला। मेरे भाई ने उठने पर बताया कि राजू और गुलाब घर से बुला कर ले जाने के बाद दोनों ने मिल कर जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी।

मैं अपने भाई को घर में कोई साधन न मिलने के कारण भाई को घर पर छोड़ कर सूचना देने के लिये आया हूं।"

मैं नहीं समझता हूं कि इसमें यह उन्होंने कहा।... (व्यवधान)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, this is very important. The post-mortem report says there was no alcohol. The Minister knows that this is a false FIR which has been registered at the instance of the police, which had beaten the man who had gone there to register a proper FIR. Ram Khilavan had given a statement against this and said that he was forced to put his thumb impression. All the newspapers in the country have written about this. And the Minister today stands up here and talks like this. Let me assure you, you may try to suppress the truth, but the truth will not be suppressed. The people will demand justice from you. (*Interruptions*).

श्री राम अवधेश सिंह : इस एफ० आई०आर० मे जश्मदीद गवाह नहीं हैं कि किसने हत्या की है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति जी, न तो किसी अपराधी को (व्यवधान) मेरे जैसा आदमी, मैं आपको बतलाता हूं.... (व्यवधान)

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी मैं आपको बार-बार निवेदन कर रही हूं कि आप डिस्टर्ब न कीजिये। मंत्री जी को जवाब देने दीजिये, आप बीच में न बोलिये। आप चुपचाप बैठ जाइये।

श्री राम अधेवश सिंह : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not need your help. Let him answer. Then you can ask. I don't want interruptions.

श्री राम विलास पासवान : अब सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने एक सवाल पूछा था – इन्होंने कहा था कि यह बतलाइये कि पिछले चार महीनों के अन्दर कितनी घटनायें घटी हैं? मेरे पास उसके आंकड़े हैं। 1989 में जो अनुसूचित जन-जाति के ऊपर कुल मामले दर्ज किये गये थे, वह 13,878 थे और 1990 में 3045–1990 की स्थिति के मुताबिक 1,556 अनुसूचित जन-जाति के खिलाफ जो मुकदमें दर्ज थे, वह 1989 में 3,535 थे और इन चार महीनों की स्थिति में 25-4-1990 की स्थिति के मुताबिक 108 हैं।

श्री विरेन्द्र वर्मा : हमने सुना नहीं। जरा सा रिपीट कर देंगे, माननीय मंत्री जी।

श्री राम विलास पासवान : मैं फिर रिपीट कर देता हूं। 1989 में जो अनुसूचित जाति... (व्यवधान)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैं सुन रहा हूं कि आदेश है कि कोई केस रजिस्टर्ड मत करो। अब यह खुली छूट है, कोई केस रजिस्टर्ड मत करो। कोई आये तो उसको मार कर भगा दो। बहुत अच्छी बात है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I am on a point of order. If this wild statement is allowed to be made in the House, then, I suppose this House being the elders' House will lose its credibility. The Member must substantiate that there has been a directive from the Government that cases should not be registered. I would like to put it on record and I urge upon you to ensure that this wild statement is deleted; otherwise he must substantiate.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Let there be a Parliamentary Committee to go into this.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this cannot be allowed.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Go ahead and move a motion against me. The Chairman is there to protect you. No problem.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, (व्यवधान)

उपसभापति : मंत्री जी, एक मिनट। यह सीरियस मैटर है आप सब लोग कंसर्न हैं, इधर से भी सबने कंसर्न किया; उस दिन 3–4 दफा बात हुई, मंत्री जी यहां बयान फ्राइडे को देना चाह रहे थे, मगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ कि फ्राइडे को बहुत लेट हो गया है इसलिये मंडे को यह बयान दें ताकि सब लोग मौजूद हों। क्योंकि सब लोगों ने इसकी मांग की थी इसलिये आज के दिन यह बात हुई, नहीं तो फ्राइडे को, Many Members would not have had an opportunity to participate in it or seek clarifications. Now, I would request the non-Member not to make

[उपसभापति]

any allegations. The Minister is trying to explain everything. If you are not satisfied, there are many other ways to justify or not to justify his statement. But if you make any allegation, you have to substantiate it and that is what Mr. Gurudas Das Gupta has said and that is the rule of law. If you think that the Minister has made any wrong statement, then, there are many ways to bring him to book. So I request you to please have patience.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, मैं समझता हूं कि दुख का विषय ही यही है कि मैंने एक भी प्वाइंट को नहीं छोड़ा। मैंने जो-जो माननीय सदस्य ने घटना के संबंध में जानकारी हासिल करनी चाही यहां जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, कोई नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने घटना के संबंध में जो जानकारी हासिल की वह एक भी प्रश्न का जवाब हमने नहीं दिया। सब प्रश्नों का जवाब हमने उसमें दे दिया है। अब उसके बाद दूसरे जो मुद्दे हैं अब उन मुद्दों पर, जयन्ती नटराजन जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने एक बात स्पेशल कोर्ट के संबंध में कही थी, स्पेशल कोर्ट के संबंध में यह बात सही है कि सितम्बर, 1989 में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उसको पास किया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। इसका सब से बड़ा कारण यह था, जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैंने पूछा कि जब एक्ट पास हो गया है तो इसको क्यों नहीं लागू किया गया है ? जवाब मिला कि यह एक्ट तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं होगा और नोटिफिकेशन इसलिये नहीं किया गया है कि ला मिनिस्ट्री की तरफ से आब्जेक्शन लगाया गया है इसलिये यह नहीं हो सकता है। ला मिनिस्ट्री ने कहा है कि जब तक राज्य की सरकारें स्पेशल कोर्टस नहीं बना देंगी और आइडेंटीफाई नहीं कर देंगी और उसके बाद नोटिफाई नहीं करेंगी तब तक भारत सरकार नोटिफाई नहीं कर सकती है और उसी के आधार पर फाइल रख दी गई। हमने ला मिनिस्ट्री से पूछा कि क्या नोटिफिकेशन के लिये राज्य से परामर्श तो हम कर सकते हैं लेकिन कोई राज्य कह दे कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे तो भारत सरकार रूक सकती है ? ला मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनकी राय हो सकती है लेकिन निर्णय आपका है। जब यह हमारे पास में सुझाव आ गया तो मैंने उसी समय 15 जनवरी को जितने भी वैलफेयर सेक्रेटरी थे उनकी दिल्ली बैठक बुलाई और दिल्ली में विज्ञान भवन में बैठक बुलवा करके मैंने कहा कि तमाम राज्य सरकारों से कि आप 29 जनवरी तक आप भिजवा दीजिये और आप नहीं भिजवायेंगे तो हम 30 जनवरी को आपके लिये रूकेंगे नहीं, हम इस महत्वपूर्ण विधेयक को जो प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज आन शैडयूल्ड कास्टस एंड शैडयूल ट्राइब्ज का यह जो एक्ट है इसको हम नोटिफाई कर देंगे और उसको हमने 30 जनवरी को अपने वायदे के मुताबिक नोटिफाई कर दिया। उसके बाद फिर तमाम राज्य सरकारों को उस समय से लगातार लिख रहे हैं और मुझको जो जानकारी मिली है, मैं स्वयं मोनिटरिंग कर रहा हूं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं सरकार में आप लोग रहे हैं 40 साल तक इसलिये आप जानते हैं। आप जानते हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि सब चीज आज ही क्यों नहीं हो जाती है। हम को इस बात की खुशी है कि तमाम राज्य की सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या गैर-कांग्रेस की सरकार हो, सभी राज्य सरकारों ने कहा है कि हम अपने यहां स्पेशल कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। हमने अपने यहां मिनिस्ट्री को कहा है कि, कह देने से ही काम नहीं चलेगा कि हमने निर्माण कर दी है, हमने आयडेंटीफिकेशन कर दिया है, हमने नोटिफिकेशन कर दिया

है बल्कि हमारी मिनिस्ट्री और मैं भी बार-बार लिख रहा हूं कि आप को एक जिले में नहीं बल्कि जितने जिले हैं पूरे देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण करना है। कहां-कहां स्पेशल कोर्ट बने हैं, कौन-कौन से उसके प्रिसायडिंग आफिसर्स हैं — इन सारी चीजों की सूचनायें हमारे पास उपलब्ध रहनी चाहियें। हम उसका मानिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सभी राज्य सरकारों ने कहा है कि हम ने अपने-अपने यहां स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय ले लिया है। यह मैं आपकी सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं। अब आपने उसमें नीयत की बात कह दी, यह मैं इसलिये कहता हूं क्योंकि यदि हम भी फाइल के अनुसार चलते तो हम भी उसको नोटिफाय नहीं कर पाते। हम भी कहते कि पहले राज्य सरकार करे तब उस पर विचार करेंगे, तो वह काम आज तक नहीं होता।

दूसरी चीज, अभी उन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया था कि हम सारी चीजों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमने यह नहीं कहा था। मैंने यह जरूर कहा था कि हमको फतेहपुर की घटना पर भी उतनी ही चिंता व्यक्त करनी चाहिये जितनी कि देश के किसी भी कोने में अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटना पर हम चिन्ता करते हैं इसलिए उपसभापति महोदया, यदि हमें इजाजत दें तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एक जिले में, हमारे माननीय सदस्य महेन्द्र प्रसाद जी जिस जिले से, जहानाबाद, जिले से आते हैं। जो पटना पुरानी कमिश्नरी है, यदि वहां आप देखेंगे तो पायेंगे कि अकेले 1988 में एक ही जगह नुनहीनगमा में 18 शैडयू कास्ट के लोग मार दिये गये। बांझा में आप को मालूम है कि 17 ट्राईबल्स मार दिये गये। फादर एंथोनी, मुरम जो हम लोगों के साथ मेंबर आफ पार्लियामेंट थे, 1977 में पुलिस फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद सरकार ने कह दिया कि यह एकदम जस्टीफाइड है, पुलिस ने जो गोली चलाई है बिल्कुल ठीक काम किया है। फिर दमुआ में, दमुआ खजरी में 11 शैडल्यूड कास्ट लोगों को गोली माकर हत्या कर दी गयी। 7-7-1989 को त्रिलोकी राम जोकि शैडयूल्ड कास्ट का एसेंबली का एम॰एल ए था, उसकी हत्या कर दी गयी। पश्चिमी चम्पारन में उसकी हत्या कर दी गयी पड़रिया में मास बलात्कार हुआ। 10-9-89 को आजाद पुर, सहारनपुर में 5 शैडयूल्ड कास्ट के लोगों की हत्या की गयी। ये मेरे पास पूरे-के-पूरे आंकड़े हैं। यदि उसे आप देखगे तो 1988 में अकेले हमारे यहां बिहार में 69 शैडयूल्ड कास्ट की हत्या हुई और 1989 में 56 शैडयूल्ड कास्ट की हत्या हुई। कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो अकेले 1988 में अनुसूचित जाति के 579 और 1989 में 479 शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हत्या हुई। क्या इसके लिये हम को चिंता नहीं है? क्या इसके लिये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है?

उपसभापति महोदया, इसलिये मैंने कहा कि निश्चित रूप से फतेहपुर में घटना घटी है। फतेहपुर की घटना को निश्चत रूप से अंडर-एस्टीमेट नहीं करना चाहिये। उस की गंभीरता को कम नहीं आंका जाना चाहिये, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फतेहपुर को एक उदाहरण मानकर सारी घटनाओं पर पर्दा डाल दिया जाय। कौन ऐसा स्टेट है, कोई स्टेट के मेंबर आफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, सभी पार्टियों की सरकार चल रही है, कोई स्टेट के मेंबर आफ पार्लियामेंट यह नहीं कह सकते कि हमारी स्टेट में शेडयूल्ड कास्ट पर अत्याचार नहीं होता, जुल्म नहीं होता है, शेडयूल्ड कास्ट के लोग नहीं मारे गये। अगर ऐसा है, तो हम इंक्वायरी करवा कर ले आते हैं कि कितने लोग मारे गये हैं? महोदया, घटना कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। जहां की सरकार प्राम्प्ट रहती है वहां कम होती है। जिस तरह की घटना घटित हुई है फतेहपुर में और जिस तरह से ऐक्शन लिया गया .. (व्यवधान) डेढ़ महीना नहीं, 5 तारीख को घटना होती है, 7 तारीख को कुर्की जब्त होती है और में 11

[श्री राम विलास पासवान]

तारीख को सरेंडर करता है, 11 तारीख को जेल भेजा जाता है। (व्यवधान)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : एक दिन भी उनका पुलिस रिमांड नहीं हुआ है। दफा 302, मर्डर का केस रजिस्टर होने के पश्चात भी एक दिन भी पुलिस रिमांड में नहीं रखे गये हैं। क्या यह सत्य है या नहीं ? मंत्री जी बताइये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : वे फरार हो गये थे और इसलिये तो कुर्की की गई है उनकी।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : आप यह बताइये कि पुलिस रिमांड में रहे या नहीं रहे ?

श्री राम विलास पासवान : विश्वजित जी, बता रहे हैं, वर्ष 1985 में 302 का मुजरिम, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। ... (व्यवधान) उसके बाद भी वे जेल के बाहर रहे। आप क्या कहना चाहते हैं, जज के ऊपर अंगुली उठाना चाहते हैं ? किस के ऊपर अंगुली उठाना चाहते हैं ? .. (व्यवधान) ..

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I am asking a specific question. ....(*Interruptions*) ...... Madam, I seek your protection... (*Interruptions*)

उपसभापति : वे उसी आदमी का कह रहे हैं। (*Interruptions*)... Just a second...(*Interruptions*)... I heard what you have said... (*Interruptions*)...

श्री राम विलास पासवान : जी, हां। उसी आदमी का। ..(व्यवधान)...

उपसभापति : मैंने आपको सुना है, जो आपने कहा। उस आदमी को जेल में नहीं रखा गया, पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया, रिमांड नहीं किया गया। उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। वही मंत्री जी बता रहे हैं कि यह क्रिमिनल आदमी है और उसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जेल में गया था। वहां से ऊपर के कोर्ट में जाकर वह बाहर आ गया और भाग गया। यही वह कहना चाह रहे हैं। उसी आदमी के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे किसी का नहीं बोल रहे हैं।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, about police custody and police remand you are not familiar with the procedures in the lower courts. I have dealt with them all my life and let me tell you . .(*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I really do not know because I have never committed any crime to go to any court. So I have not done anything. .....(*Interruptions*).....

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I have only committed the crime of hearing the Minister telling us absolute untruths. That is my crime..(*Interruptions*)...

SHRI N. E. BALARAM (Kerala) Let us have a decent debate (*Interruptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: You should not hold the House to ransom. .. (*Interruptions*)... Every time you can not be rising and asking questions..(*Interruptions*)..

श्री ईश दत्त यादव : मेडम, एक मिनिट मेरा निवेदन आप सुन लीजिये। मेडम, मैं एक मिनिट से कम समय लूंगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय नेता जी, जो अनुभवी और वरिष्ठ वकील रहे हैं, मैं जानता हूं, यह सारा प्रोसीजर जानते होंगे कि जब कोई आदमी अरेस्ट हो जाय या कोर्ट में सरेंडर किया जाय तो वह जेल जाता है। जब वह जेल जाता है और जब तक चार्ज-शीट नहीं आती हैं, तब तक वह पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड पर माना जाता है

और कोर्ट जो है मेक्सिमम 14 दिन के अन्दर उसकी एपियरेंस अपने सामने करती हैं । जब चार्ज-शीट आ जाती है, तो चार्ज-शीट के बाद उसकी जुडिशियल कस्टडी हो जाती है और फिर पुलिस की कस्टडी या पुलिस की रिमांड नहीं मानी जाती है। इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो हैं, यह सही कह रहे हैं कि वह पुलिस रिमांड पर दिया गया कि नहीं, पुलिस रिमांड पर क्यों दिया जायेगा। . . . (व्यवधान) . . .

SHRI DIPEN GHOSH: Why are you wasting time on this?. . (*Interruptions*). .

SHRI VISHVJIT P. SINGH: He has surrendered to the court. I want to know whether he is in judicial custody or in police custody. . (*Interruptions*). .

SHRI DIPEN GHOSH: This is not the procedure of the Rajya Sabha. It is not a place for cross-examination. . . (*Interruptions*). . Members have the right to seek clarifications and they have been allowed to ask clarifications. Now the Minister is replying, the Members must listen to him. If it does not satisfy him there are other ways of discussing the issues.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: What are the other ways?

SHRI DIPEN GHOSH: Through Calling Attention or Short Duration. This is not a place for examination and cross-examination.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं कि किसी की बात को असत्य बताने में उनको कभी कुछ लगता ही नहीं है। वे सब को एक ही बेरोमीटर से मापना शुरू करते हैं । हमारे जैसे लोगों के लिये भी यदि कोई कह दे कि असत्य बोल रहे हैं मंत्री, तो इससे ज्यादा गाली हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि यदि मैं कोई बात कह रहा हूं और उनमें उनको गलत नजर आए तो हमारे खिलाफ वे प्रिविलेज मोशन यहां लाएं, हम उसको फेस करने के लिये तैयार हैं। लेकिन बात-बात को असत्य बताना, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मैं वह बात कह रहा हूं, मैंने कहा कि भारत सरकार इसमें इन्वोल्व नहीं है : . . . (व्यवधान) . . .

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह **

SHRI DIPEN GHOSH: He cannot say that. . (*Interruptions*). .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record. It is unparliamentary and I will not allow it. Now, there are other Members who are to seek clarifications and the House has a right to know. Yes, Mr. Minister.

श्री राम विलास पासवान : आपने जितने प्रश्न उठाए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक-एक लाइन में, एक-एक शब्द में, बिना डिटेल में गए मैंने डेंटवाइज पढ़कर बतला दिया कि यह है। कुछ माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा जाहिर की है, वह मैं बतला रहा हूं। आप जानते हैं कि भारत सरकार न तो एफ०आई०आर० दायर करती है, न भारत सरकार के जी में है। भारत सरकार जो भी रिपोर्ट लेती है, राज्य सरकार से लेती है। जितना मैक्सिमम हो सकता है, हमने राज्य सरकार से इन्फारमेशन लेकर के आपको बतलाने का काम किया है। जो कुछ प्वाइंट बचे हैं, हम बतलाने जा रहे हैं। इसलिए उस मामले में किसी को अनट्रुथ बतला देना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। . . . (व्यवधान) . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : नेता विरोधी दल जरा कृपा करके उन्हें रोकें। आप उन्हें क्यों नहीं रोकते ?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I am saying something very reasonable. I asked a specific question to which I did not get a reply. That is why I was upset; I was not upset over anything else.

**Not recorded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You called him something and I have not allowed that word to go on record since it is unparliamentary. Even in your excitement and anger and anguish, use parliamentary words. Now, let him reply it is going to be seven o'clock and since 4 o'clock we have been discussing this.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I apologise to you for using an unparliamentary word. I was upset because I did not get a reply to my specific question.

SHRI DIPEN GHOSH: For heaven's sake, please keep quiet for some time... (*Interruptions*)..

SHRI VISHVJIT P. SINGH: You want me to remain silent? All right.

श्री राम विलास पासवान : अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार दोहरा दें कि आपका प्रश्न क्या है?

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है।... (**व्यवधान**) . .

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I would like to know whether these two accused persons, since their arrest on the 11th, if I am not wrong.

SHRI ISH DUTT YADAV: They were not arrested.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: All right. Since they have surrendered, have they been under police remand even for one hour? This is my question.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, जो बात इन्होंने कही, मैंने पहले ही कह दिया कि 11 तारीख को, जिस दिन उन्होंने आत्म-समर्पण किया आत्म-समर्पण क्यों किया, यह भी बात मैंने कह दी कि उसके पहले 7–8 तारीख को कुर्की हो गई थी, 11 तारीख को आत्म-समर्पण किया और उस दिन से आज तक वे आदमी जेल में हैं। यह वो आदमी है, जिसके बारे में मैंने कहा कि कोई पालिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है, वह क्रिमिनल हैं, जिसके खिलाफ मैं 302 के मुकदमे के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी और वह जमानत पर बाहर था। अब आप क्या चाहते हैं?

उपसभापति महोदया, अभी हमारी सरला माहेश्वरी जी नहीं हैं और हमारे हनुमनतप्पा जी, कुछ एक साथियों ने संवेदनशील एरिया के मामले को उठाया था कि जहां इस प्रकार की घटनायें हों उसको संवेदनशील एरिया बनाया जाए, जो मैं समझता हूं कि जो प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, है, उसमें इस बात की व्यवस्था है। मेरा निश्चित रूप से यह मत है कि जहां कहीं भी जुर्म या अत्याचार हो, जो लोकल अथारिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो एस०पी० है, उसके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदेही सौंपनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं समझता हूं कि यह सारे स्टेट का मामला है और सारी की सारी पार्टी की सरकार है, यहां मैं ऊपर से कोई बात कह दूं और राज्य सरकार की ओर से उसका विरोध हो जाए, इसलिए हम सीधे किसी चीज को डील नहीं करते हैं, हम राज्य सरकार के थ्रू इसको डील करते हैं। चूंकि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला है, लेकिन मैंने आपको कहा कि सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए कटिबद्ध है और मैं फिर गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 40 साल में आपने जो नहीं किया, उसको हमने 40 दिन के अंदर किया है और आप सब लोगों की राय हो, तो जो भी आप राय देंगे, उसको सरकार करेगी, एक रत्ती भर भी हिचकिचाने का प्रश्न नहीं उठता है, यह हम विश्वास दिलाते हैं। जब भी आप यहां बोलें, आप निश्चित रूप से यहां सुझाव दें और पूछें कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है? महोदया, मैं वैलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से ही नहीं, सरकार के एक मंत्री की हैसियत से, सरकार के एक अंग की हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक वीकर सैक्शन, अनुसूचित जाति-जनजाति का सवाल है, उसके लिए

कानून बनाकर हो, चाहे जो भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अधीन पक्ष और विपक्ष मिलकर एक रास्ता निकालें और जो भी आपके सुझाव होंगे, हम उन पर न सिर्फ विचार करने के लिए तैयार हैं बल्कि उस दिशा में हम कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हैं। यह हम माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं और इस घटना के संबंध में चाहे फतहपुर की घटना हो, चाहे देश के किसी भी भाग में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति-जनजाति, कमजोर वर्गों के ऊपर जहां कहीं भी इस तरह के जुल्म और अत्याचार हों, कहीं भी कोई घटना हो, सरकार उसको गंभीरता से लेगी और उसके लिए जो भी संभव होगा, कार्यवाही करने का काम करेगी।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक सवाल का जवाब रह गया है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I asked whether this compensation rate will apply to any death that will occur, of Rs. 45,000 and four bighas of land, which has been given to the family of the deceased. Will this rate of compensation be applied to all those deaths on account of atrocities? Secondly, the Minister said that he was a criminal and he was on bail and he has committed the guilt. Will the Ministry or the police examine this aspect also as to whether this criminal has been used by some vested interests in committing this crime?

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): There is just one point which has not come out. I do not want to interfere at this stage. In all the cases of atrocities it is the women who become the targets of most of these atrocities. You want to get even with a men or his wife or his daughter or you attack the women in the family. The question gets very much tied up with the problems of atrocities on women. And now that the Minister is also in charge of the Department of Women, whether we agree with it or not, I would ask the Minister if he is also looking into the specific request we have been repeatedly making of having more women police in these vulnerable places where these atrocities on women get tied up with weaker sections so that a certain amount of protection is given to women who become the prime targets of attack in all these incidents.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Did either the Prime Minister or the Minister visit the house of Dhanraj after this incident?

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं प्रधान मंत्री के संबन्ध में तो नहीं कह सकता हूं। प्रधान मंत्री जब यहां बैठे हुए थे, उस समय पूछना चाहिए था। मैं वहां नहीं गया, प्रधान मंत्री भी नहीं गए हैं। मैं समझता हूं कि अगर कहीं भी चले जाने से वह समस्या हल हो जाती... (व्यवधान) मैं वही सवाल पूछूं कि जितने माननीय सदस्यों ने क्लैरिफिकेशन पूछे हैं उनमें से कितने सदस्य वहां गए हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहां मैंने इस संबंध में बताने की कोशिश की है.. (व्यवधान)

महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए हनुमनतप्पा साहब ने जो एक क्लैरिफिकेशन मांगा है और मार्ग्रेट अल्वा साहिबा ने भी पूछा है, उसके संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार एक नेशनल कमीशन आफ वुमैन का निर्माण करने जा रही है और वह राष्ट्रीय आयोग कोई रिपोर्टिंग बाडी नहीं होगा बल्कि उसको पावरफुल और स्टैट्युटरी पावर्स के साथ बनाया जाएगा। बाकी जो आपने सुझाव दिया है कि महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल में और अन्य जगहों पर नियुक्त किया जाए, यह विचार बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है और निश्चित रूप से मैं आपकी भावना को सरकार तक पहुंचाऊंगा और सरकार स्वयं इस संबंध में विचार कर भी रही है। हनुमंतप्पा साहब ने एक बात कही कि जो फैसिलिटीज दी गई हैं क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि जहां कहीं भी अनुसूचित जाति-जनजाति के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो तो सरकार उनको तुरंत राहत देगी? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए पूरी-पूरी व्यवस्था करेगी।

[श्री राम विलास पासवान]

मैंने पहले ही कहा कि यह भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार अपने खजाने से कुछ दे सकती है। लेकिन अंततोगत्वा यह जवाबदेही राज्य सरकारों की है और आज सौभाग्य से राज्य सरकारों में सब पार्टी के लोग जो भी प्रमुख दल हैं, सब लोगों की हिस्सेदारी है, कहीं न कहीं सब पार्टी की सरकार हैं और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जिस तरीके से ट्रेन में मरने वालों के लिए, जिस तरीके से प्लेन में मरने वालों के लिए है कि इतना रुपया दिया जाये, लाख से तो कहीं कम है ही नहीं, उसी तरह से हम राज्यों के कल्याण मंत्रियों की बैठक बहुत जल्दी बुलाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस मामले को भी वहां रखेंगे। राज्य सरकारों से भी आग्रह करेंगे कि यदि सभी राज्य सरकारें यह निश्चित कर लें कि ऐसे मामलों में यदि किसी की हत्या होती है तो उसके लिये कितनी राशि तय की जायेगी कम से कम और यदि किसी को इन्जुरी होती है तो यह राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद निश्चित रूप से हम इस आईडिया को रखने का काम करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That matter is over... (*Interruptions*)

यह मेटर खत्म हो गया है।

RE. ATTACK ON SGPC PRESIDENT, SHRI G. S. TOHRA

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजीडेंट गुरचरण सिंह टोहरा के ऊपर कल लेट लास्ट नाईट में अटैक हुआ, टैरोरिस्ट अटैक हुआ। उनका गनमैन और शायद उनका ड्राईवर मारा गया और वह भी हास्पिटल में दाखिल हैं और सीरियस हैं, मुझे ऐसा पता चला है। सरकार कल इस इंसीडेंट के ऊपर बयान दे, बहुत जरूरी है क्योंकि वे 16-17 साल से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजीडेंट चले आ रहे हैं और इंपोर्टेंट सिख लीडर हैं।

उपसभापति : यहां पर हमारे डिप्टी मिनिस्टर आफ पार्लियामेंट्री एफेयर्स बैठे हैं और दूसरे मंत्री भी हैं सरकार के। वह जरूर इसकी सूचना सरकार को देंगे और जो कुछ होगा हाउस के अंदर इसमें बयान होगा।

The House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 15th May, 1990.